2025 का विधेयक संख्यांक 14

वित्त विधेयक, 2025

[लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में]

वित्त विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 9 का संशोधन ।
5. धारा 9क का संशोधन ।
6. धारा 10 का संशोधन ।
7. धारा 12कख का संशोधन ।
8. धारा 13 का संशोधन ।
9. धारा 17 का संशोधन ।
10. धारा 23 का संशोधन ।
11. नई धारा 44खखघ का अंतःस्थापन ।
12. धारा 45 का संशोधन ।
13. धारा 47 का संशोधन ।
14. धारा 72क का संशोधन ।
15. धारा 72कक का संशोधन ।
16. धारा 80गगक का संशोधन ।
17. नई धारा 80गगघ का संशोधन ।
18. धारा 80झकग का संशोधन ।
19. धारा 80ठक का संशोधन ।
20. धारा 87क का संशोधन ।
21. धारा 92गक का संशोधन ।
22. धारा 112क का संशोधन ।
23. धारा 115कघ का संशोधन ।
24. धारा 115खकग का संशोधन ।
25. धारा 115पक का संशोधन ।
26. धारा 115फ का संशोधन ।

खंड

27. धारा 115फख का संशोधन ।
28. धारा 115फघ का संशोधन ।
29. धारा 115फछ का संशोधन ।
30. धारा 115फझ का संशोधन ।
31. धारा 115फट का संशोधन ।
32. धारा 115फत का संशोधन ।
33. धारा 115फन का संशोधन ।
34. धारा 115फफ का संशोधन ।
35. धारा 115फभ का संशोधन ।
36. धारा 115फयक का संशोधन ।
37. धारा 132 का संशोधन ।
38. धारा 132ख का संशोधन ।
39. धारा 139 का संशोधन ।
40. धारा 140ख का संशोधन ।
41. धारा 144खक का संशोधन ।
42. धारा 144ग का संशोधन ।
43. धारा 153 का संशोधन ।
44. धारा 153ख का संशोधन ।
45. धारा 155 का संशोधन ।
46. धारा 158ख का संशोधन ।
47. धारा 158खक का संशोधन ।
48. धारा 158खख का संशोधन ।
49. धारा 158खङ का संशोधन ।
50. धारा 158खचक का संशोधन ।
51. धारा 193 का संशोधन ।
52. धारा 194 का संशोधन ।
53. धारा 194क का संशोधन ।
54. धारा 194ख का संशोधन ।
55. धारा 194खख का लोप ।
56. धारा 194घ का संशोधन ।
57. धारा 194छ का संशोधन ।
58. धारा 194ज का संशोधन ।
59. धारा 194झ का संशोधन ।
60. धारा 194ञ का संशोधन ।
61. धारा 194ट का संशोधन ।
62. धारा 194ठक का संशोधन ।
63. धारा 194ठखग का संशोधन ।
64. धारा 194थ का संशोधन ।
65. धारा 194ध का संशोधन ।
66. धारा 206कख का संशोधन ।

खंड

67. धारा 206ग का संशोधन ।
68. धारा 206गगक का संशोधन ।
69. धारा 246क का संशोधन ।
70. धारा 253 का संशोधन ।
71. धारा 255 का संशोधन ।
72. धारा 263 का संशोधन ।
73. धारा 264 का संशोधन ।
74. धारा 270कक का संशोधन ।
75. धारा 271ककख का संशोधन ।
76. धारा 271खख का लोप ।
77. धारा 271ग का संशोधन ।
78. धारा 271गक का संशोधन ।
79. धारा 271घ का संशोधन ।
80. नई धारा 271घक का अंत:स्थापन ।
81. धारा 271घख का संशोधन ।
82. धारा 271ङ का संशोधन ।
83. धारा 275 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
84. धारा 276खख का संशोधन ।
85. नई धारा 285खकक का अंत:स्थापन ।
86. दूसरी अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

87. धारा 18 का संशोधन ।
88. नई धारा 18क का अंतःस्थापन ।
89. धारा 27 का संशोधन ।
90. धारा 28 का संशोधन ।
91. धारा 127क का संशोधन ।
92. धारा 127ख का संशोधन ।
93. धारा 127ग का संशोधन ।
94. धारा 127घ का संशोधन ।
95. धारा 127च का संशोधन ।
96. धारा 127छ का संशोधन ।
97. धारा 127ज का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

98. पहली अनुसूची का संशोधन ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

99. धारा 31 का संशोधन ।
100. नई धारा 31क का अंतःस्थापन ।
101. धारा 32 का संशोधन ।

खंड

102. धारा 32क का संशोधन ।
103. धारा 32ख का संशोधन ।
104. धारा 32ग का संशोधन ।
105. धारा 32घ का संशोधन ।
106. धारा 32ङ का लोप ।
107. धारा 32च का संशोधन ।
108. धारा 32छ का संशोधन ।
109. धारा 32झ का संशोधन ।
110. धारा 32ञ का संशोधन ।
111. धारा 32ट का संशोधन ।
112. धारा 32ठ का संशोधन ।
113. धारा 32ड का संशोधन ।
114. धारा 32ण का संशोधन ।
115. धारा 32त का संशोधन ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

116. धारा 2 का संशोधन ।
117. धारा 12 का संशोधन ।
118. धारा 13 का संशोधन ।
119. धारा 17 का संशोधन ।
120. धारा 20 का संशोधन ।
121. धारा 34 का संशोधन ।
122. धारा 38 का संशोधन ।
123. धारा 39 का संशोधन ।
124. धारा 107 का संशोधन ।
125. धारा 112 का संशोधन ।
126. नई धारा 122ख का अंत:स्थापन ।
127. नई धारा 148क का अंत:स्थापन ।
128. अनुसूची 3 का संशोधन ।
129. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं ।

सेवा कर

130. मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पुनः बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से भूतलक्षी छूट के लिए विशेष उपबंध ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

131. 2002 के अधिनियम सं0 58 का संशोधन ।

खंड

भाग 2

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 का संशोधन

132. इस भाग का लागू होना ।

133. प्रस्तावना का संशोधन ।

134. धारा 1 का संशोधन ।

135. धारा 2 का संशोधन ।

136. धारा 3 का संशोधन ।

137. धारा 5 का संशोधन ।

138. धारा 31 का संशोधन ।

139. धारा 32 का संशोधन ।

140. 1944 के अधिनियम सं0 18 का निरसन और व्यावृत्ति ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

(लोक सभा में 1 फरवरी, 2025 को पुरःस्थापित रूप में)

2025 का विधेयक संख्यांक 14

[दि फाइनेंस बिल, 2025 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2025

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2025 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,--

(क) धारा 2 से धारा 86, धारा 99 से धारा 115, धारा 120 और धारा 131, 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 116 से धारा 119 और धारा 121 से धारा 129, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, या उन दशाओं में, जहां आय, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, और जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां,– 1961 का 43

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर, निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय थी ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय थी ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, धारा 115खखञ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,--

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बना है, के मामले के सिवाय, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,–

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या ऐसे व्यक्तियों के संगम, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम के, जो सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में,–

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की

आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,--

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, सिवाय ऐसी देशी कंपनी की, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,–

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (घ) में वर्णित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,--

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में,--

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित

है) पचास लाख रुपए से अधिक, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए रुपए से अधिक, किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय अपवर्जित है) दो करोड़ रुपए रुपए से अधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु उपरोक्त खंड (iii) के अधीन नहीं आती है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी दशा में, जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू होते हैं तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि व्यक्तियों के संगम की दशा में,जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है और जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम, या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय है, और ऐसी आय,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि भारत में निवासी ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, ऐसी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, जो आय के उस भाग पर परिकलित आय-कर को किसी अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 194न, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनी से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा

2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, इस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित की जाएगी ;

(च) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते

हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है और केवल कंपनियों के उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बना है, ऐसे संगम की दशा में,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है

और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, किसी व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, 115खखञ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,–

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि की दशा में या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,–

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति

की आय सम्मिलित नहीं है] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,–

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,–

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,–

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (घ) में वर्णित किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,–

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परन्तुक के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, पहले परंतुक के अनुसार संगणित "अग्रिम कर", संघ के प्रयोजनों के लिए व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर पर" ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर" ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर), "ऐसे अग्रिम कर के पच्चीस प्रतिशत की दर पर" ; और

(iv) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, किंतु ऊपर खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर" :

परंतु यह भी कि जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के लागू होने की दशा में और कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन प्रभार्य लाभांश भी है, आय के उस भाग के संबंध में "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में तथा धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन प्रभार्य आय पर, "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा (2) के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय निम्नलिखित से अधिक है,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम

कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, जिसकी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर को अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है या उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां निर्धारिती ने पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,–

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर"

की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की धारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा मानो "दो लाख पचास हजार रुपए"शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार इस धारा में उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है :

परन्तु यह और भी कि इस धारा की कोई बात, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की, आय-कर

अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट, आय पर उपधारा (9) में यथा विनिर्दिष्ट, संगणित आय-कर के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,--

(क) खंड (14) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) उपखंड (ख) में, "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 खंड (क) में विनिर्दिष्ट विनिधान निधि द्वारा धारित हैं" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ग) में, 1 अप्रैल, 2026 से, "खंड (10घ) के अधीन छूट, इस कारण लागू नहीं होती है क्योंकि उसका चौथा और पांचवां परंतुक उसे लागू होता है" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (22) में,--

(i) उपखंड (ii) के पश्चात्, दीर्घ पंक्ति में, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(iiक) दो समूहों अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण, जहां,--

(अ) समूह अस्तित्व में से एक कोई "वित्त कंपनी" या कोई "वित्त यूनिट" है ; और

(आ) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व भारत से बाहर, बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले देश या राज्यक्षेत्र से भिन्न भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है ;';

(ii) स्पष्टीकरण 3 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ग) "वित्त कंपनी" और "वित्त यूनिट" का वही अर्थ होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के क्रमश: खंड (ङ) और खंड (च) में उनका है : 2019 का 50

परंतु ऐसी वित्त कंपनी या वित्त यूनिट को, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सुसंगत विनियमों के अनुसार खजाना संबंधी क्रियाकलापों या खजाना संबंधी सेवाओं को करने हेतु वैश्विक या क्षेत्रीय निगम खजाना केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है ;

(घ) "समूह अस्तित्व", "मूल अस्तित्व" और "प्रधान अस्तित्व" ऐसे अस्तित्व होंगे, जो इस निमित्त यथा विहित शर्तों को पूरा करते हैं ।';

(ग) खंड (47क) के उपखंड (ग) के पश्चात् और परंतुक से पहले, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) कोई क्रिप्टो आस्ति, जो उस मूल्य का डिजिटल प्रतिरूपण करती है, जो संव्यवहारों का विधिमान्यकरण करने तथा संरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक रूप से संरक्षित वितरित खाता-बही या किसी समान प्रौद्योगिकी का अवलंब लेता है, चाहे इसमें किसी ऐसी आस्ति को उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में सम्मिलित किया जाता है अथवा नहीं :"।

धारा 9 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) खंड (i) के स्पष्टीकरण (2क) में पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु यह और कि ऐसे संव्यवहार या क्रियाकलाप, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित है, भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति को गठित नहीं करेंगे :''।

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9क का संशोधन ।

5. अधिनियम की धारा 9क में,--

(क) उपधारा (3) के खंड (ग) में,--

(i) "विनिधान समग्र निधि" शब्दों के स्थान पर, "विनिधान पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को समग्र निधि" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि जहां निधि में पूर्वोक्त संकलित सहभागिता या विनिधान किसी पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर को पांच प्रतिशत से अधिक हो जाता है, वहां इस खंड में उल्लिखित शर्त के बारे में यह माना जाएगा कि उसका समाधान हो गया है, यदि उसे ऐसे पूर्व वर्ष के, यथास्थिति, 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर के चार मास के भीतर पूरा कर दिया जाता है ;";

(ख) उपधारा (8क) में,--

(i) "विनिर्दिष्ट शर्तों" शब्दों के पश्चात्, "[खंड (ग) से भिन्न]" कोष्ठक, शब्द और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "2024" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

6. अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (4ङ) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) "धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी यूनिट" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या कोई विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का यूनिट है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण--**इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।";

1992 का 15

(ग) खंड (4च) में "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे;

(घ) खंड (4ज) में,--

(i) प्रारंभिक भाग में,--

(अ) "वायुयान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "वायुयान या पोत" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "2026" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "वायुयान" से कोई वायुयान या हैलीकॉप्टर या किसी वायुयान या हैलीकॉप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;

(ख) "पोत" से कोई पोत या कोई समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;';

(ङ) खंड (10घ) में, आठवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह भी कि निम्नलिखित दशा में प्राप्त किसी राशि को चौथे, पांचवें, छठे और सातवें परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे,--

(क) किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा जारी किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन, जिसमें ऐसी पालिसी पर लाभांश के माध्यम से आबंटित राशि भी सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण--इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय" का वही अर्थ होगा, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप विनियम (1) के खंड (ध) में उसका है ;'; 2019 का 50

(च) खंड (12ख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(12खक) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न्यास से किसी निर्धारिती को, जो किसी अवयस्क का अभिभावक या संरक्षक है, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवयस्क के खाते से आंशिक रूप से रकम निकाले जाने पर कोई संदाय, उस परिमाण तक, जो उसके द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो ;''; 2013 का 23

(छ) खंड (23चङ) में,--

(i) "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों" शब्दों के पश्चात्, "(चाहे ऐसे पूंजी अभिलाभों को धारा 50कक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में माना जाता है अथवा नहीं)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (i) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ;

(ज) खंड (34ख) में,--

(i) "वायुयान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "वायुयान या पोत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण--**इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "वायुयान" से, कोई वायुयान या हैलीकॉप्टर या किसी वायुयान या हैलीकॉप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;

(ख) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है ; 2005 का 28

(ग) "पोत" से कोई पोत या कोई समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;'।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख में,-- धारा 12कख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु जहां कोई आवेदन उक्त खंड के उपखंड (i) से उपखंड (v) के अधीन किया जाता है और धारा 11 तथा धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, के पूर्ववर्ती दो पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे गए थे ।';

(ख) उपधारा (4) के स्पष्टीकरण के खंड (छ) में, "पूर्ण नहीं है या उसमें" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन में" शब्द रखे जाएंगे ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,-- धारा 13 का संशोधन ।

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) कोई व्यक्ति, जिसका न्यास या संस्था को, यथास्थिति, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान कुल अभिदाय एक लाख रुपए से अधिक है या सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक सकल अभिदाय दस लाख रुपए से अधिक है ;";

(ii) खंड (घ) में, "व्यक्ति," शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ङ) में, "(ख)," कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) उपखंड (iii) के पैरा (ग) में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (viii) के पश्चात्, आने वाले परंतुक के खंड (vi) के उपखंड (आ) में, "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) ऐसे गृह या उसके किसी भाग से मिलकर बनी संपत्ति का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा, यदि वह स्वामी के अपने ही निवास के लिए अधिभोग में है या उसका वस्तुत: अधिभोग किसी कारण से नहीं किया जा सकता है ।"।

नई धारा 44खखघ का अंत:स्थापन । भारत में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए या इलेक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के कारबार में लगे अनिवासी के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 44खखग के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'44खखघ. (1) धारा 28 से धारा 43क में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती, जो अनिवासी है और भारत में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के प्रयोजनों के लिए या इलेक्ट्रानिक मालों, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ है,--

(क) कोई निवासी कंपनी, जो केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन भारत में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा या इलेक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई संबद्ध सुविधा स्थापित या प्रचालित कर रही है ; और

(ख) ऐसी निवासी कंपनी इस निमित विहित की गई शर्तों को पूरा करती है,

उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि को कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य अनिवासी निर्धारिती के ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमें निम्नलिखित होंगी,--

(क) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के मद्दे उसकी ओर से किसी अनिवासी निर्धारिती या किसी व्यक्ति को संदत्त या संदेय रकम; और

(ख) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के मद्दे अनिवासी निर्धारिती द्वारा या अनिवासी निर्धारिती की ओर से प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।

(3) धारा 32 की उपधारा (2) में और धारा 72 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अनिवासी निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, वहां ऐसे पूर्ववर्ती

वर्ष के लिए निर्धारिती को अनामेलित अवक्षयण और अग्रनीत हानि का मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।'।

धारा 45 का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1ख) में, 1 अप्रैल, 2026 से, ''खंड (10घ) के अधीन, उसके चौथे और पांचवे परंतुक के लागू होने के कारण, छूट लागू नहीं होती है'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में,--

(i) 1 अप्रैल, 2026 से, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) 'पारिणामिक निधि' से भारत में किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसे निम्नलिखित मंजूर किया गया है,--

(i) प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है ; या

1992 का 15

2019 का 50

(ii) धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (I) के मद (ख) के अनुसार, खुदरा स्कीम या विनिमय व्यापार निधि के रूप में प्रमाणपत्र, जो उक्त खंड में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है ;";

(ii) खंड (ख) में, ''2025'' अंकों के स्थान पर, ''2030'' अंक रखे जाएंगे ।

धारा 72क का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 72क में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) उपधारा (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(6ख) जहां, यथास्थिति, किसी समामेलन या कारबार पुनर्गठन, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, प्रभावी किया जाता है, उपधारा (1), उपधारा (6) या उपधारा (6क) के अधीन पूर्ववर्ती अस्तित्व की संचयी हानि का भाग बनाने वाली कोई हानि, जो, यथास्थिति,--

(क) समामेलक कंपनी है ; या

(ख) फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान है ; या

(ग) प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी है,

जो उत्तरवर्ती अस्तित्व की हानि समझी जाती है, जो, यथास्थिति,--

(i) समामेलित कंपनी है ; या

(ii) उत्तरवर्ती कंपनी है ; या

(iii) उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी है,

जिसके लिए मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को पहले संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनधिक निर्धारण वर्षों के लिए, उत्तरवर्ती अस्तित्व को अग्रनीत किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (7) में, खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(कख) "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से उपधारा (1) के अधीन पहले समामेलन या उपधारा (6) या उपधारा (6क) के अधीन पहले कारबार पुनर्गठन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है ।'।

धारा 72कक का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 72कक में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां ऐसे समामेलन की कोई स्कीम, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, प्रभावी की जाती है, पूर्ववर्ती अस्तित्व की संचयी हानि का भाग बनाने वाली कोई हानि, जो, यथास्थिति,--

(क) बैंककारी कंपनी है या कंपनियां हैं ; या

(ख) समामेलक तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं ; या

(ग) समामेलक सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं,

जो उत्तरवर्ती अस्तित्व की हानि समझी जाती है, जो, यथास्थिति,--

(i) बैंककारी संस्था या कंपनी है ; या

(ii) समामेलित तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं ; या

(iii) समामेलित सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं,

जिसके लिए ऐसे मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को पहले संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनधिक निर्धारण वर्षों के लिए, उत्तरवर्ती अस्तित्व को अग्रनीत किया जाएगा ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(viii) "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से पहले समामेलन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है ।'।

धारा 80गगक का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगक की उपधारा (2) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 29 अगस्त, 2024 से अंत:स्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टिक है, की दशा में, खंड (क) में निर्दिष्ट रकम, जो 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् वापस ली गई है, कर से प्रभार्य नहीं होगी ।"।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) उपधारा (1ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस उपधारा के अधीन कटौती वहां भी अनुज्ञात की जाएगी, जहां निर्धारिती द्वारा, जो किसी अवयस्क का माता या पिता या अभिभावक है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि उक्त उपधारा के अधीन कटौती की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, उक्त पेंशन स्कीम के अधीन ऐसे अवयस्क के खाते में कोई संदाय या निक्षेप किया गया है ।";

(ख) उपधारा (3) में,--

(i) प्रारंभिक भाग में, "निर्धारिती के खाते में उसके नाम में जमा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती या किसी अवयस्क, यथास्थिति, उसके खाते में या अवयस्क के खाते में जमा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अवयस्क का माता या पिता या अभिभावक या नामनिर्देशिती है, अवयस्क की मृत्यु के कारण उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के बंद होने पर प्राप्त रकम को ऐसे व्यक्ति की आय के रूप में नहीं समझा जाएगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, प्रारंभिक भाग में, "जहां निर्धारिती द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "उसके खाते या किसी अवयस्क के खाते में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80ठक का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (2) के खंड (घ) में, ''2025'' अंकों के स्थान पर, ''2030'' अंक रखे जाएंगे ।

धारा 87क का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) पहले परंतुक में,--

(i) खंड (क) में,--

(I) "सात लाख रुपए" शब्द के स्थान पर, "बारह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) "पच्चीस हजार रुपए" शब्द के स्थान पर, "साठ हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "सात लाख रुपए" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "बारह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन कटौती, धारा 115खकग की उपधारा (1क) में उपबंधित दरों के अनुसार संदेय आय-कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 92गक का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में,

(क) 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

''परंतु किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए कोई निर्देश नहीं किया जाएगा, यदि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने ऐसे संव्यवहार के संबंध में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3ख) में निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को घोषित कर दिया है :

परंतु यह और कि उपधारा (3ख) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में, जिसके लिए विकल्प विधिमान्य घोषित किया जाता है किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए कोई निर्देश, यदि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसी घोषणा के पूर्व या पश्चात् किया जाता है तो इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे, मानो ऐसे संव्यवहार के लिए कोई निर्देश नहीं किया गया हो ।'';

(ii) उपधारा (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(3ख) किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3) के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित की जारी रही असन्निकट कीमत, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को लागू होगी, अर्थात् :--

(क) निर्धारिती, उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उपर्युक्त प्रभाव के विकल्प या विकल्पों का प्रयोग करता है ;

(ख) ऐसे विकल्प या विकल्पों का प्रयोग यथाविहित प्ररूप, रीति और ऐसी समयावधि के भीतर किया जाता है ; और

(ग) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, एक मास के भीतर लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि विकल्प यथाविहित शर्तों के अधीन रहते हुए विधिमान्य है या हैं :

परंतु इस उपधारा के उपबंध अध्याय 14ख के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।'';

(iii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(4क) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को उपधारा (3ख) के अधीन विधिमान्य विकल्प के रूप में घोषित कर दिया है, वह उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे समान संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का परीक्षण और अवधारण करेगा और निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश की प्राप्ति पर, धारा 155 की उपधारा (21) के उपबंधों के अनुसार उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना प्रारंभ करेगा ।'';

(ख) उपधारा (9) के परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (10) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(11) यदि उपधारा (3ख) और उपधारा (4क) को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कठिनाई को दूर करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा :

परंतु ऐसा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत 1 अप्रैल, 2026 से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(12) बोर्ड द्वारा उपधारा (11) के अधीन जारी प्रत्येक मार्गदर्शी सिद्धांत को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तवर्ती सत्र सम्मिलित हो सकेंगे और यदि, सत्र के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् मार्गदर्शी सिद्धांत यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।''।

धारा 112क का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) आरंभिक भाग में, ''खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, ''खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115कघ का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (iii) में, दीर्घ पंक्ति में, 1 अप्रैल, 2026 से, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "साढ़े बारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115खकग का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) खंड (ii) में, "या उसके पश्चात्" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''(iii) 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**कुल आय**	**कर की दर**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	4,00,000 रुपए तक	शून्य
2.	4,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
3.	8,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
4.	12,00,001 रुपए से 16,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
5.	16,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
6.	20,00,001 रुपए से 24,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
7.	24,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत ।"।

धारा 115पक का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (2) में, "धारा 111क और धारा 112" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से, ", धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115फ का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115फ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) खंड (क), खंड (ख) खंड (च) और खंड (ज) में, "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङक) 'अंतर्देशी जलयान' का वही अर्थ होगा, जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (थ) में उसका है ;"। 2021 का 24

धारा 115फख का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115फख में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) परंतुक में "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फघ का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115फघ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) "कोई पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, कोई पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "पोत या जलयान" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) में, "वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोत है या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोत है या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अंतर्देशीय जलयान है" शब्द रखे जाएंगे; 1958 का 44 1958 का 44 2021 का 24

(iv) खंड (ग) में, "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) दीर्घ पंक्ति के पश्चात्, खंड (i) में, "कोई समुद्रगामी पोत या जलयान" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, कोई समुद्रगामी पोत या जलयान या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फछ का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115फछ में, 1 अप्रैल, 2026 से, उपधारा (4) में "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फझ का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115फझ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) उपधारा (2) के खंड (ii) में,-

(i) "अन्य पोत संबंधी क्रियाकलाप" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, अन्य पोत संबंधी या अंतर्देशीय जलयान संबंधी क्रियाकलाप," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (अ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "एक या अधिक पोतों" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, एक या अधिक पोतों या अंतर्देशी जलयानों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (6) में, "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फट का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115फट में, उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से, ", जो पोत हैं," शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, जो पोत या अंतर्देशीय जलयान हैं," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फत का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 115फत की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के लिए उपधारा (3) के अधीन आदेश, उस तिमाही की समाप्ति से, तीन मास की अवधि के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था ।"।

धारा 115फन का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115फन में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) उपधारा (3) में, "किसी नए पोत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ", यथास्थिति, किसी नए पोत या नए अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के खंड (ग) में, "उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट नए पोत का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, नए पोत या नए अंतर्देशीय जलयान का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण में, 'प्रयोजनों के लिए, "नया पोत" में ऐसा' शब्दों के स्थान पर, 'प्रयोजनों के लिए, ", यथास्थिति, नया पोत या नया अंतर्देशी जलयान" में ऐसा' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फफ का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115फफ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) उपधारा (4) में, "भाड़े पर लिए गए पोतों" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, भाड़े पर लिए गए पोतों या अंतर्देशी जलयानों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, "भाड़े पर लिए गए पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, भाड़े पर लिए गए पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फभ का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115फभ में, उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(i) खंड (क) में, "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान की दशा में, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी प्रमाणपत्र ।"।

2021 का 24

धारा 115फयक का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115फयक में, उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

(क) "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 132 का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में,--

(क) उपधारा (8) में, ''निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना आदेश की तारीख से तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से, ''तिमाही, जिसमें निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना संबंधी आदेश किए गए हैं, की समाप्ति से एक मास'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, "प्राधिकार" शब्द के स्थान पर, "प्राधिकारों" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 132ख का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में, "धारा 158खङ के स्पष्टीकरण 2" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 158ख के स्पष्टीकरण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 139 का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (8क) में,--

(क) "चौबीस मास" शब्दों के स्थान पर, "अड़तालीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अद्यतन विवरणी वहां प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जहां धारा 148क के अधीन उसके मामले में सुसंगत निर्धारण

वर्ष के अंत से छत्तीस मास के पश्चात् कोई कारण बताओ सूचना जारी की गई है :

परंतु यह भी कि चौथा परंतुक वहां लागू नहीं होगा, जहां धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है कि धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह कोई उपयुक्त मामला नहीं है ।"।

धारा 140ख का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (3) के खंड (ii) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2025 से, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित, संदेय कर और ब्याज के योग का साठ प्रतिशत, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चौबीस मास की समाप्ति के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छत्तीस मास की अवधि पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है; या

(iv) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज की योग का सत्तर प्रतिशत, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छत्तीस मास की समाप्ति के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास की अवधि पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है ।"।

धारा 144खक का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 144खक के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) "उस तारीख से, जिसको अनुमोदनकर्ता पैनल की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि :"।

धारा 144ग का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (14ग) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 153 का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) उस तारीख से, जिसको निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या" ।

धारा 153ख का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण के खंड (i) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) उस तारीख से, जिसको निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या"।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में, उपधारा (20) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 155 का संशोधन ।

"(21) जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाता है और अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने यह घोषित किया है कि निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प, उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में विधिमान्य है, वहां निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना का संशोधन करके,--

(क) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसे संव्यवहार के संबंध में उक्त धारा की उपाधारा (4क) के अधीन इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप ; और

(ख) ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए,

उस मास के अंत से तीन मास के भीतर, जिसमें ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण पूरा किया जाता है, ऐसे क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना करेगा और उसे धारा 92ग की उपधारा (4) का पहला और दूसरा परंतुक लागू होगा :

परंतु जहां, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना ऐसे क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उक्त तीन मास के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां ऐसी पुन:संगणना, उस मास के अंत से तीन मास के भीतर की जाएगी, जिसमें यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना को जारी किया जाता है ।"।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के खंड (ख) में, "धन, सोना-चांदी, आभूषण" शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "आभासी डिजिटल आस्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे । धारा 158ख का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 158खक में, 1 फरवरी, 2025 से, अर्थात् :-- धारा 158खक का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) में, "लंबित" शब्द के स्थान पर, "किया जाना अपेक्षित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, "किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, "किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनः संगणना या निर्देश या आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 158खख में, 1 फरवरी, 2025 से,- धारा 158खख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) ब्लॉक अवधि की धारा 158खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय निम्नलिखित का कुल योग होगी, अर्थात् :--

(i) धारा 158खग के अधीन प्रस्तुत विवरणी में अप्रकटित कुल आय ;

(ii) यथास्थिति, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारित आय ;

(iii) तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व धारा 139 के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी में या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन किसी सूचना के प्रत्युत्तर में घोषित आय, जो खंड (i) या खंड (ii) के अंतर्गत नहीं आती है ;

(iv)(क) पूर्व वर्ष के संबंध में, जहां ऐसा पूर्व वर्ष समाप्त हो गया है और तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख के पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की शोध्य तारीख समाप्त नहीं हुई है ;

(ख) पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली, जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है तथा तलाशी या अध्यपेक्षा आरंभ होने वाली तारीख के ठीक पूर्व के दिन को समाप्त होने वाली, अवधि के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख के ठीक पूर्व के दिन को या उसके पहले ऐसी अवधि के लिए;

(ग) जिसमें तलाशी आरंभ करने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से आरंभ होने वाली और तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार से निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली, अवधि के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उसके पहले ऐसी अवधि के लिए,

निर्धारित आय ;

(v) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय ।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) जहां लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप अवधारित किए जाने के लिए अपेक्षित आय और ऐसी अन्य सामग्रियों या सूचना, जो या तो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध हैं या जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के दौरान उसकी जानकारी में आई हैं या अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर अवधारित आय किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित है या उस पूर्ववर्ष के, जिसमें अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया था, 1 अप्रैल को आरंभ होने वाली और अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में धारा 92गक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित है, वहां ऐसी आय को ब्लॉक अवधि की कुल आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा और ऐसी आय को इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन किए गए निर्धारण में विचार में लिया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (6) में, "आय प्रकट" शब्दों के स्थान पर, "अप्रकटित आय प्रकट" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 158खङ का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 158खङ में,--

(क) उपधारा (1) में, "मास के अंत से" शब्दों के स्थान पर, "तिमाही के अंत से" शब्द रख जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "मास के अंत से" शब्दों के स्थान पर, "तिमाही के अंत से" शब्द रख जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) उस तारीख से, जिसको किसी न्यायालय द्वारा आदेश या व्यादेश द्वारा निर्धारण कार्यवाहियों पर रोकादेश मंजूर किया गया था, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको ऐसे रोकादेश को समाप्त करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी, समाप्त होने वाली अवधि ; या"।

धारा 158खचक का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 158खचक की उपधारा (4) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) उस तारीख, जिसको उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक दी जाती है, से आरंभ होने वाली तथा उस तारीख को, जिसको रोक को हटाने वाले आदेश की प्रमाणिक प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ;"।

धारा 193 का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 193 में,--

(क) "संदेय ब्याज की रकम", शब्दों के पश्चात्, ", जो वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों का योग है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) परंतुक के खंड (v) के उपखंड (क) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194 का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 194 के पहले परंतुक के खंड (ख) में, "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194क का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) में,--

(क) खंड (i) में,--

(i) "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (घ) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) तीसरे परंतुक में,--

(अ) "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (xi) के पश्चात् आने वाले परंतुक के खंड (ख) में,--

(i) "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ख का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में,--

(क) "जो ऐसी रकम या रकमों का योग है", शब्दों के स्थान पर, "जो एकल संव्यवहार की बाबत ऐसी रकम है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "वित्तीय वर्ष के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 194खख का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में,--

(क) "वित्तीय वर्ष के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों के योग की" शब्दों के स्थान पर, "एकल संव्यवहार के संबंध में दस हजार रुपए से अधिक की रकम की" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194घ का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के दूसरे परंतुक में, "पंद्रह हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 194छ की उपधारा (1) में, "पंद्रह हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194छ का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के पहले परंतुक में, "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194ज का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 194झ का संशोधन ।

"परंतु यह कि इस धारा के अधीन वहां कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा पाने वाले के खाते में या उसे किसी मास या मास के भाग के लिए जमा या संदत्त की जाने वाली ऐसे किराए की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है :"।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (आ) में, "तीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194ञ का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट के परंतुक के खंड (i) में, "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194ट का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के पहले परंतुक में, "दो लाख पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194ठक का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखग की उपधारा (1) में, "पूर्वतर हो, उस पर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "आय-कर की कटौती करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194ठखग का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 194थ की उपधारा (5) के खंड (ख) में, "ऐसे किसी संव्यवहार से भिन्न, जिसे धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा । धारा 194थ का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 194ध की उपधारा (2) में, "धारा 203क और धारा 206कख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 203क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । धारा 194ध का संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 206कख का लोप किया जाएगा । धारा 206कख का लोप ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,-- धारा 206ग का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) सारणी में,--

(अ) क्रम संख्यांक (iii) के सामने,--

(I) स्तंभ (2) में, "काष्ठ" शब्द के स्थान पर, "काष्ठ या अन्य वनोत्पाद (जो तेंदू पत्ते नहीं हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(II) स्तंभ (3) में, "ढाई प्रतिशत" शब्द के स्थान पर, "दो प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) क्रम संख्यांक (iv) के सामने, स्तंभ (3) में, "ढाई प्रतिशत" शब्द के स्थान पर, "दो प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) क्रम संख्यांक (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''वनोत्पाद'' का वही अर्थ है जो तत्समय प्रवृत्त भारतीय वन अधिनियम, 1927 में है ।''; 1927 का 16

(ख) उपधारा (1छ) में,--

(i) पहले, दूसरे और चौथे परंतुक में, "सात लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि प्राधिकृत व्यौहारी राशि को संग्रहीत नहीं करेगा, यदि विप्रेषित की जा रही रकम को शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए धारा 80ङ की उपधारा (3) के खंड (ख) में यथापरिभाषित किसी वित्तीय संस्थान से प्राप्त किया गया ऋण है :";

(ग) उपधारा (1ज) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के उपबंधों में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2025 से लागू नहीं होगी ।";

(घ) उपधारा (7क) में, 1 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु धारा 153 की उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (6) तथा उसका स्पष्टीकरण 1, जहां तक हो सके, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को लागू होंगे ।";

(ङ) उपधारा (9) में, "उपधारा (1ग) या उपधारा (1ज)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (10क) में, "(1ग), (1च) या (1ज)" कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "(1ग) या (1च)" कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 206गगक का लोप ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 206गगक का लोप किया जाएगा ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में,-- धारा 246क का संशोधन ।

(i) खंड (ञक) में, "उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ढ) में, "उपायुक्त द्वारा किया गया" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (9) के परंतुक का लोप किया जाएगा । धारा 253 का संशोधन ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (8) के परंतुक का लोप किया जाएगा । धारा 255 का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (3) के नीचे स्पष्टीकरण में, "ऐसी किसी कालावधि का, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक रखी गई है," शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि का," शब्द रखे जाएंगे । धारा 263 का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 264 की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण में, "उस अवधि को, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है," शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि को," शब्द रखे जाएंगे । धारा 264 का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 270कक की उपधारा (4) में, ''एक मास'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन मास'' शब्द, रखे जाएंगे । धारा 270कक का संशोधन ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख की उपधारा (1क) में, "राष्ट्रपति की अनुमति होती है," शब्दों के पश्चात् "किंतु 1 सितंबर, 2024 के पूर्व," शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे तथा 1 सितंबर, 2024 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे । धारा 271ककख का संशोधन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 271खख का लोप किया जाएगा । धारा 271खख का लोप ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 271ग की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 271ग का संशोधन ।

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 271गक की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 271गक का संशोधन ।

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घ का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 271घ की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घक का संशोधन ।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 271घक की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घख का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 271घख की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271ङ का संशोधन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 275 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 275 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

शास्तियां अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन ।

"275. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस तिमाही की समाप्ति से छह मास के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें--

(क) वे कार्यवाहियां जिनके दौरान शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाही आरंभ की गई है, पूर्ण की जाती हैं, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 की विषय-वस्तु नहीं है;

(ख) धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है;

(ग) धारा 246 या धारा 246क के अधीन अपील का आदेश अधिकारिताप्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन अपील की विषय-वस्तु है और धारा 253 के अधीन कोई अतिरिक्त अपील फाइल नहीं की गई है;

(घ) धारा 253 के अधीन अपील का आदेश अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धारा के अधीन अपील की विषय-वस्तु है;

(ङ) शास्ति के अधिरोपण की सूचना किसी अन्य मामले में जारी की जाती है ।

(2) शास्ति को अधिरोपित करने वाला या उसमें वृद्धि करने वाला या उसे कम करने वाला या शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाहियों को बंद करने वाला आदेश धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 या धारा 260क या धारा 261 के अधीन पारित आदेश को प्रभावी करते हुए पुनरीक्षित रूप में निर्धारण या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के आधार पर वहां पुनरीक्षित किया जा सकेगा, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है ।

(3) शास्ति को अधिरोपित करने वाला या उसमें वृद्धि या उसे कम करने वाला या उसे रद्द करने वाला या उपधारा (2) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा,--

(क) जब तक निर्धारिती को सुना नहीं गया हो या सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;

(ख) उस तिमाही के अंत से, जिसमें धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 या धारा 260क या धारा 261 के अधीन पारित आदेश अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त नहीं हो जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है, छह मास की समाप्ति के पश्चात् ।

(4) धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंध, उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने के आदेश को लागू होंगे ।"

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित अवधि का अपवर्जन किया जाएगा,--

(क) धारा 129 के परंतुक के अधीन निर्धारिती को फिर से सुनवाई का अवसर दिए जाने में लगा समय;

(ख) उस तारीख को आरंभ होने वाली अवधि, जिसको शास्ति के उद्ग्रहण के लिए कार्यवाही पर रोक किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा मंजूर की गई थी और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको रोक को रद्द करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी ।"।

धारा 276खख का संशोधन ।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 276खख में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के उपबंध उस समय लागू नहीं होंगे यदि स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय, ऐसे संदाय के संबंध में धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उससे पूर्व किसी समय केंद्रीय सरकार को जमा कर दिया गया है ।"।

नई धारा 285खकक का अंत:स्थापन । क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार का विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता ।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"285खकक. (1) कोई व्यक्ति, जो क्रिप्टो आस्ति के संबंध में यथाविहित कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व है, ऐसी क्रिप्टो आस्ति के किसी संव्यवहार के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे आय-कर प्राधिकारी को, जो विहित किए जाएं, किसी विवरण में जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है, त्रुटि के संबंध में सूचित कर सकेगा और वह उसे उस त्रुटि का, ऐसी सूचना से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो अनुज्ञात की जाए, सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा और यदि त्रुटि का ऐसी अवधि के भीतर सुधार नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसे व्यक्ति ने विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी ।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, तो विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करे और वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि किसी व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन, या उपधारा (3) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में, विवरण प्रस्तुत किया है, विवरण में उपलब्ध कराई गई सूचना में किसी गलती के बारे में ज्ञात होता है या गलती पता चलती है तो वह दस दिन की अवधि के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे विवरण में हुई गलती के संबंध में जानकारी देगा तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सही जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(5) केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, निम्नलिखित को विहित कर सकेगी,--

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को विहित आय-कर अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना ;

(ख) जानकारी की प्रकृति तथा वह रीति, जिसमें ऐसी जानकारी को खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा बनाए रखा जाएगा ; और

(ग) किसी क्रिप्टो आस्ति उपयोक्ता या स्वामी की पहचान के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा बरती जाने वाली सम्यक् तत्परता ।

(6) इस धारा में, 'क्रिप्टो आस्ति' का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (47क) के उपखंड (घ) में उसका है ।"।

द्वितीय अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन ।

86. आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68ख के उपनियम (2) के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(i) उस तारीख से, जिसको पूर्वोक्त कर, ब्याज, जुर्माने, शास्ति या किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिताप्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(ii) उस तारीख से, जिसको स्थावर संपत्ति की कुर्की या विक्रय की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिताप्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या" ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

धारा 18 का संशोधन ।

87. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 18 में,--

(क) उपधारा (1) में, "उचित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनन्तिम रूप से निर्धारण किया जाए," शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"उचित अधिकारी, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनन्तिम रूप से निर्धारण कर सकेगा,";

(ख) उपधारा (1क) में, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में," शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(1ख) उचित अधिकारी, अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क को, उपधारा (1) के अधीन ऐसे निर्धारण की तारीख से दो वर्ष के भीतर अंतिम रूप देगा :

परंतु सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2025 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, उपधारा (1) के अधीन लंबित किसी अनंतिम निर्धारण के संबंध में, दो वर्ष की उक्त अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिसको उक्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है ।

(1ग) जहां उचित अधिकारी, निम्नलिखित कारण से उपधारा (1ख) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का अंतिम रूप से निर्धारण करने में असमर्थ है कि,--

(क) भारत से बाहर किसी प्राधिकारी से विधिक प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी मांगी जा रही है ; या

(ख) उसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की वैसे ही मामले में कोई अपील, अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है ; या

(ग) अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक का अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है ; या

(घ) बोर्ड ने वैसे ही मामले में ऐसे मामले को लंबित रखने के लिए विनिर्दिष्ट निदेश या आदेश जारी किया है ; या

(ङ) समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड के समक्ष आयातकर्ता या निर्यातकर्ता का आवेदन लंबित है,

तो उचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को, अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं देने के लिए कारण को सूचित करेगा और ऐसे मामले में, उपधारा (1ख) में विनिर्दिष्ट समय अनंतिम निर्धारण की तारीख से लागू नहीं होगा, अपितु उस तारीख से लागू होगा, जब ऐसा कारण विद्यमान नहीं है ।"।

नई धारा 18क का अंत:स्थापन । निकासी पश्च् प्रविष्टि का स्वैच्छिक पुनरीक्षण ।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"18क. (1) धारा 149 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, निकासी के पश्चात्, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, माल के संबंध में पहले ही की गई प्रविष्टि का पुनरीक्षण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने पर, माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, शुल्क का स्वत: निर्धारण करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की गई पुनरीक्षित प्रविष्टि और किए गए स्वत: निर्धारण का परिणाम,--

(क) किसी शुल्क का कम उद्ग्रहण, उद्ग्रहण न होना, कम संदत्त या संदत्त न होना होता है, तो ऐसे माल के आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा उसका धारा 28कक के अधीन ब्याज के साथ स्वैच्छया संदाय किया जा सकेगा ;

(ख) ऐसे माल पर संदेय शुल्क के आधिक्य में संदत्त शुल्क या ऐसे माल पर संदत्त संपूर्ण शुल्क के रूप होता है, जिसमें प्रतिदाय अपेक्षित है, तो ऐसी पुनरीक्षित प्रविष्टि धारा 27 के अधीन प्रतिदाय के लिए दावा के रूप में समझी जाएगी ।

(4) उचित अधिकारी,--

(क) समुचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर होगा चयनित मामलों में उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की गई पुनरीक्षित प्रविष्टि और किए गए स्वत: निर्धारण का सत्यापन कर सकेगा ;

(ख) जहां उपधारा (2) के अधीन स्वत: निर्धारण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का पुन: निर्धारण कर सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन प्रविष्टि का पुनरीक्षण निम्नलिखित मामलों में नहीं किया जाएगा,--

(क) वे मामले, जहां अध्याय 12क के अधीन कोई संपरीक्षा या अध्याय 13 के अधीन तलाशी, अभिग्रहण या समन कार्यवाही आरंभ कर दी गई है और संबंधित आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को सूचित कर दिया गया है ;

(ख) प्रतिदाय की अपेक्षा वाले मामलें, जहां उचित अधिकारी ने धारा 17 के अधीन शुल्क का पुन: निर्धारण किया है या धारा 18 के अधीन या धारा 84 के अधीन शुल्क का निर्धारण किया है ;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 2--**शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन प्रतिदाय के दावा या धारा 149 के अधीन दस्तावेजों के संशोधन के मामले में एक वर्ष की परिसीमा की अवधि की संगणना ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख से की जाएगी ।"।

धारा 28 का संशोधन ।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(खक) उस दशा में, जहां शुल्क धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन संदत्त किया जाता है, वहां शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख ;"।

धारा 127क का संशोधन ।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क में,--

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1944 का 1

'(घक) "अंतरिम बोर्ड" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31क के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;";

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ङक) "लंबित आवेदन" से धारा 127ख के अधीन 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(i) इसे धारा 127ग के अधीन अनुज्ञात किया गया है ; और

(ii) धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को या उसके पूर्व कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ।'।

धारा 127ख का संशोधन ।

92. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के अधीन कोई आवेदन 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि अंतरिम बोर्ड के गठन की तारीख से ही, बोर्ड द्वारा प्रत्येक लंबित आवेदन उस प्रक्रम से कार्रवाई की जाएगा, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन उसके गठन के ठीक पूर्व विद्यमान था ।"।

धारा 127ग का संशोधन ।

93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

'(11) 1 अप्रैल, 2025 से ही,--

(क) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (8क) के उपबंध, लंबित आवेदनों को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि "समझौता आयोग", शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अंतरिम बोर्ड", शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (7) में, "न्यायपीठ", शब्द के स्थान पर, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे गए हों ।

(12) अंतरिम बोर्ड, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31क के अधीन उसके गठन की तारीख से तीन मास के भीतर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, उपधारा (8क) में निर्दिष्ट समय सीमा को, ऐसे गठन की तारीख से बारह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।'। 1944 का 1

धारा 127घ का संशोधन ।

94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127घ की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति, अंतरिम बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाएगी और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 127च का संशोधन ।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127च की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(5) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 127छ का संशोधन ।

96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127छ के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग के कृत्य, अंतरिम बोर्ड द्वारा किए जाएंगे और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 127ज का संशोधन ।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के सभी उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

पहली अनुसूची का संशोधन ।

98. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का,--

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) 1 मई, 2025 से, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

1944 का 1

धारा 31 का संशोधन ।

99. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 में,--

(i) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ङक) "अंतरिम बोर्ड" से धारा 31क के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(चक) "लंबित आवेदन" से धारा 32ङ के अधीन 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(i) इसे धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया गया है ; और

(ii) धारा 32च की उपधारा (5) के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को या उसके पूर्व कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ।'।

नई धारा 31क का अंत:स्थापन ।

100. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अंतरिम समझौता बोर्ड ।

"31क. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, लंबित आवेदनों के निपटान के लिए एक या अधिक अंतरिम समझौता बोर्ड, जो आवश्यक हों, गठित करेगी :

परंतु अंतरिम बोर्ड के गठन की तारीख से ही, प्रत्येक लंबित आवेदन बोर्ड द्वारा उस प्रक्रम से कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन उसके गठन के ठीक पूर्व विद्यमान था ।

(2) प्रत्येक अंतरिम बोर्ड तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें प्रत्येक मुख्य आयुक्त या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होगा, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(3) यदि अंतरिम बोर्ड के सदस्य, किसी प्रश्न पर राय में भिन्नता रखते हैं तो वह प्रश्न बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा ।

(4) अंतरिम बोर्ड की सहायता, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाएगी ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

101. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के अधीन इस प्रकार गठित समझौता आयोग, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा ।"।

धारा 32क का संशोधन ।

102. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32क की उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 32ख का संशोधन ।

103. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ख की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

104. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ग में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 32ग का संशोधन ।

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

105. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32घ में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 32घ का संशोधन ।

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

106. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 32ङ का संशोधन ।

"परंतु कोई आवेदन इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 32च का संशोधन ।

'(11) 1 अप्रैल, 2025 से ही,--

(क) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, लंबित आवेदनों को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "आदेश की तारीख से सात दिन" शब्दों के स्थान पर, "आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (7) में, "न्यायपीठ" शब्द के स्थान पर, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) के उपबंध इसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड" शब्द रख दिए गए हों ।

(12) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अंतरिम बोर्ड, धारा 31क के अधीन उसके गठन की तारीख से तीन मास के भीतर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय-सीमा को, ऐसे गठन की तारीख से बारह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।'।

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32छ की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2025 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 32छ का संशोधन ।

"(3) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32झ का संशोधन ।

109. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32झ की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(5) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ञ का संशोधन ।

110. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ञ के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग के कृत्यों का पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ट का संशोधन ।

111. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ठ का संशोधन ।

112. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ठ की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ड का संशोधन ।

113. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ण का संशोधन ।

114. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32त का संशोधन ।

115. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32त में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

केंद्रीय माल और सेवा कर

2017 का 12

धारा 2 का संशोधन ।

116. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

2017 का 13

(i) खंड (61) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (69) में,--

(क) उपखंड (ग) में "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;

(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है ;'।

धारा 12 का संशोधन ।

117. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 13 का संशोधन ।

118. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन ।

119. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में,--

(i) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर, "संयंत्र और मशीनरी" शब्द रखे जाएंगे और इन्हें 1 जुलाई, 2017 से रखा हुआ समझा जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण 2--खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा ।'।

धारा 20 का संशोधन ।

120. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

(i) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; 2017 का 13

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; 2017 का 13

धारा 34 का संशोधन ।

121. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि--

(i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है ।"।

धारा 38 का संशोधन ।

122. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में,--

(i) उपधारा (1) में "स्वत: सृजित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "कोई विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,--

(क) "के अधीन स्वत: जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (ख) में, "धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, "जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण भी सम्मिलित हैं" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

123. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "रीति और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 107 का संशोधन ।

124. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो ।"।

धारा 112 का संशोधन ।

125. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो ।"।

नई धारा 122ख का अंत:स्थापन।

126. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति ।

"122ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ।"।

नई धारा 148क का अंत:स्थापन।

127. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि ।

"148क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,--

(क) माल ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,--

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी ;

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति,--

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएगा ;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा ;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा,

जो विहित की जाए ।"।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

128. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में,--

(i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्--

"(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति ;";

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, "पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए" शब्दों और अंक के स्थान पर, "पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण 3--पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन" "मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं ।'।

2005 का 28

संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं ।

129. सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता, यदि धारा 13 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती ।

सेवा कर

मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पुनः बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से भूतलक्षी छूट के लिए विशेष उपबंध ।

130. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की धारा 66, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 से पूर्व विद्यमान थी, या उक्त अधिनियम के उक्त अध्याय की धारा 66ख, जैसी वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उक्त अध्याय के लोप से पूर्व विद्यमान थी, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 के साथ समाप्त होने वाली (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की अवधि के दौरान मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन पुनः बीमा के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए करार की गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा या संग्रहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा जिसे संग्रहीत किया गया है किंतु जिसे इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त नहीं हुई होती :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा जिसको वित्त विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है ।

(3) उक्त अध्याय के लोप के होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन भूतलक्षी रूप से प्रतिदाय को उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अध्याय सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त रहा था ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 के अधिनियम सं0 58 का संशोधन ।

131. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2025 से "2025" अंकों के स्थान पर, "2027" अंक रखे जाएंगे ।

भाग 2

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 का संशोधन

सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके प्रबंध से संबंधित विधि को संशोधित करना समीचीन है;

और "राज्य का लोकऋण" की विषय-वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा संकल्प पारित किए गए हैं कि उपरोक्त राज्यों में पूर्वोक्त विषयों का विनियमन संसद् की विधि द्वारा किया जाना चाहिए ।

इस भाग का लागू होना ।

132. (1) यह भाग प्रथमत: संपूर्ण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा और वह ऐसे अन्य राज्यों को भी लागू होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस निमित्त संकल्प पारित करके इस भाग का अंगीकार करते हैं ।

(2) यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को तुरंत लागू होगा और ऐसे किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन करके इस भाग का अंगीकार करता है, इस प्रकार अंगीकार किए जाने की तारीख को लागू होगा और इस भाग में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस भाग के किसी राज्य को लागू होने के संबंध में प्रतिनिर्देश से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको यह भाग ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त होता है ।

प्रस्तावना का संशोधन ।

133. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना के पैरा 3 में, ''जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल के सिवाय, सभी राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में'' शब्दों के स्थान पर, "सभी राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में" शब्द रखे जाएंगे । 2006 का 38

धारा 1 का संशोधन ।

134. मूल अधिनियम की धारा 1 में,--

(i) उपधारा (3) में, ''जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सभी राज्यों को और सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होता है और यह जम्मू-कश्मीर राज्य को भी, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अंगीकार करे,'' शब्दों, अंको और कोष्ठकों के स्थान पर, "सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,--

(क) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "और जम्मू कश्मीर राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकृत करे" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

135. मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में,--

(i) ''किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) ''और धारा 3 में वर्णित रूपों में से किसी एक रूप में है'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

136. मूल अधिनियम की धारा 3 में, ''ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

137. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के अंत में आने वाले, ''आदेश को प्रभावित नहीं करेगी ।'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत धारा 2 के खंड (च) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की अंतरणीयता पर किसी निर्बंधन को प्रभावित करने के रूप में समझा जाएगा ।'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 31 का संशोधन ।

138. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 32 का संशोधन ।

139. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) में, ''और वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

1944 का 18

1944 के अधिनियम सं0 18 का निरसन और व्यावृत्ति ।

140. (1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई किसी बात या किसी कार्रवाई को इस प्रकार इस भाग द्वारा यथासंशोधित सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी, मानो उक्त अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था, जिसको ऐसी कोई बात या कार्रवाई की गई थी ।

2006 का 38

(3) निरसित अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को, जो इस भाग के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अधीन बैंक द्वारा बनाए गए विनियम समझा जाएगा ।

2006 का 38

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन घोषणा

2023 का 50

यह घोषित किया जाता है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 98 के उपखंड (क) के उपबंध अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है ।	1,00,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,–

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,–

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,–

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की

दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,–

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,–

(i) जहां पूर्ववर्ष 2022-2023 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय	कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,–

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,– 50 प्रतिशत ;

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,–

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :–

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में,–	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,–	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	2 प्रतिशत ;
(vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर–	10 प्रतिशत ;

(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vii) किसी अन्य आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,–

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,–

(अ) विनिधान से किसी आय पर — 20 प्रतिशत ;

(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 12.5 प्रतिशत ;

(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर — 12.5 प्रतिशत ;

(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर — 12.5 प्रतिशत ;

(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) — 20 प्रतिशत ;

(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा — 20 प्रतिशत ;

115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है

(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर — 30 प्रतिशत ;

(अः) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(र) उपमद (ख)(i)(अः) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ल) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,–

(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) — 20 प्रतिशत ;

(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय — 20 प्रतिशत ;

समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	20 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक अन्य आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	12.5 प्रतिशत ;
(अं) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;

(अ:) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(र) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ।

2. किसी कंपनी की दशा में,–

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,–

(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iv) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय — 30 प्रतिशत ;

(v) किसी अन्य आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,–

(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) — 20 प्रतिशत ;

(v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है — 20 प्रतिशत ;

(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी

भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो मद (ख)(v) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]–

(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,–

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(viii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ix) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 12.5 प्रतिशत ;

(x) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर — 12.5 प्रतिशत ;

(xi) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] — 12.5 प्रतिशत ;

(xii) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट, लाभांश के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(xiii) मद (ख)(xii) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(xiv) किसी अन्य आय पर — 35 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण–इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,–

(i) इस भाग की मद 1,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्ति-निकाय की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,–

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है,

आय के उस भाग के संबंध में कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,–

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) किसी व्यक्तियों के संगम, जो अनिवासी है, और उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में,–

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकग या धारा 115खकघ या धारा 115खकङ या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115खखज या धारा 115खखझ या धारा 115खखञ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :–

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,10,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,00,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,–

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,–

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,–

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,–

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,–

(i) जहां पूर्ववर्ष 2023-2024 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,–

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,–

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,–

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1–आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2–आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न], धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3–आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4–इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में–

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5–जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6–जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7–राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8–(1) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या

1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018

(2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9–जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10–आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11–निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 98(क) देखिए]

पहली अनुसूची का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,-- 1975 का 51

(i) अध्याय 60 में, टैरिफ मद 6004 10 00, 6004 90 00, 6006 22 00, 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 42 00 और 6006 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 115 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8528 59 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 98(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 10 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'**अनुपूरक टिप्पण :**

1. टैरिफ मद 1006 30 11 और 1006 30 91 के प्रयोजनों के लिए, "चावल, भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) मान्यताप्राप्त" माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) रजिस्ट्री द्वारा परिभाषित और मान्यताप्राप्त चावल की किस्मों को निर्दिष्ट करता है ।';

(ii) शीर्ष 1006 में, उपशीर्ष 1006 30, टैरिफ मद 1006 30 10 से 1006 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"1006 30	-	*अर्ध कूटा गया या पूर्ण कूटा गया चावल, चाहे पालिश किया गया या चमकाया गया है या नहीं :*			
	---	*उसा हुआ :*			
1006 30 11	----	चावल, भौगोलिक उपदर्शन मान्यताप्राप्त	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 12	----	बासमती चावल	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	70%	-
	---	अन्य :			
1006 30 91	----	चावल, भौगोलिक उपदर्शन मान्यताप्राप्त	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 92	----	बासमती चावल	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	70%	-";

(2) अध्याय 15 में, टैरिफ मद 1520 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(3) अध्याय 20 में,–

(i) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'**अनुपूरक टिप्पण :**

1. टैरिफ मद 2008 19 21 से 2008 19 29 के प्रयोजनों के लिए, "मखाना" पद से यूरेल फेरोक्स सेलिस्ब पौधे का बीज अभिप्रेत है और यह सामान्यत: गोरगोन नट या मखाना के नाम से भी जाना जाता है ।';

(ii) शीर्ष 2008 में, टैरिफ मद 2008 19 20 से 2008 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*मखाना :*			
2008 19 21	----	तड़का लगा हुआ	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 22	----	आटा और चूर्ण	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	150%	-
	---	*अन्य :*			
2008 19 91	----	अन्य भुने हुए काष्ठफल और बीज	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 92	----	अन्य दृढ़फल, अन्यथा निर्मित या परिरक्षित	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 93	----	अन्य भुने हुए और तले हुए वनस्पति उत्पाद	कि.ग्रा.	30%	-
2008 19 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(4) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2515 11 00, 2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90, 2516 11 00 और 2516 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 26 में,--

(i) टैरिफ मद 2603 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ मद 2605 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) टैरिफ मद 2609 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) टैरिफ मद 2611 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) शीर्ष 2613 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) शीर्ष 2615 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) टैरिफ मद 2617 10 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 27 में,--

(i) शीर्ष 2710 में, टैरिफ मद 2710 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"2710 91	--	जिसमें बहु कलोरीनेटित बाइफिनायल (पीसीबी) बहुक्लोरिनेटित टरफिनायल (पीसीटी), बहुबोरोनेटित बाइफिनायल (पीबीबी) को अंतर्विष्ट है :			
2710 91 10	---	जिसमें 50 मिलिग्राम/किलोग्राम या अधिक के सांद्र स्तर पर बहु कलोरीनेटित बाइफिनायल (पीसीबी) अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	5%	-
2710 91 20	---	अन्य, जिसमें बहुक्लोरिनेटित टरफिनायल (पीसीटी) या बहुबोरोनेटित बाइफिनायल (पीबीबी) है, चाहे 50 मिलिग्राम/ किलोग्राम से कम के सांद्र स्तर पर बहु कलोरीनेटित बाइफिनायल भी अंतर्विष्ट है या नहीं	कि.ग्रा.	5%	-
2710 91 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(ii) टैरिफ मद 2711 12 00 और 2711 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 2711 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 28 में,–

(i) टैरिफ मद 2809 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ मद 2810 00 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) शीर्ष 2812 में, टैरिफ मद 2812 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 2813 में, टैरिफ मद 2813 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2813 90 30	---	चूना सल्फर	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(v) शीर्ष 2853 में, टैरिफ मद 2853 90 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2853 90 50	---	मैग्निशियम फास्फाइड प्लेट, जिंक फास्फाइड	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(8) अध्याय 29 में,–

(i) अनुपूरक टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'**अनुपूरक टिप्पण :**

1. टैरिफ मद 2906 11 10 के प्रयोजनों के लिए "प्राकृतिक मेन्थोल" पद से जैविक यौगिक ($सी_{10}एच_{20}ओ$) अभिप्रेत है, जिसे जापानी किस्म के पुदीना तेल या मेन्था आर्वेन्सिस के नाम से ज्ञात मेन्थोल पुदीना के आसवन से प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत किसी रासायनिक मार्गों के माध्यम से कृत्रिम रूप से बनाए गए जापानी किस्म के पुदीना तेल या मेन्था आर्वेन्सिस के नाम से ज्ञात मेन्थोल पुदीना नहीं है ।

2. टैरिफ मद 2916 39 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 2916 39 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

अल्फानैफ्थाइल ऐसिटिक अम्ल, साइक्लेनीलाइड, क्रेसोक्सिम मिथायल, मेटोफ्लूथाइन, परमेथ्रीन, रेनोफ्लूथ्राइन, ट्रांसफ्लूथ्राइन ।

3. टैरिफ मद 2918 99 30 के अंतर्गत उपशीर्ष 2918 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

2,4-डी अमाइन लवण, 2,4-डी- इथाएल एस्टर, 2,4-डी सोडियम लवण, 2,4-डाईक्लोरोफेनोक्सी ऐसिटिक अम्ल, प्रोहेक्साडाइन कैल्शियम, एस-बायोऐलेथ्रीन, सोडियम ऐसिफ्लोरेफेन ।

4. टैरिफ मद 2924 19 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 19 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बेन्डियोकार्ब, कार्बोक्सीन, क्लोरप्रोफेम, फेनोबुकार्ब (बीपीएमसी), फ्लुजियानडोलीजायन, मेथोमाइल, मेटोलेचलर, प्रोपैमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड, थायोडाइकार्ब ।

5. टैरिफ मद 2924 21 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 21 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बाइफेनेजेट, कार्बोसलफान, साइफ्लूफेनामाइड, फेनोक्सानाइल, फ्लूफेनोक्सरैन, इपफेनकार्बाजोन, लूफेनूरोन, मेटाफ्लूमाइजोन, मेटसल्फ्यूरोन मिथायल, नोवाल्यूरोन, आर्थोसल्फाम्यूरोन, पैनसीक्यूरोन, सल्फोसल्फयूरोन, टैफलूबैनजूरोन, ट्रायफामोन, ट्रायसल्फ्यूरोन, ट्राइफलोक्सीसल्फयूरोन सोडियम ।

6. टैरिफ मद 2924 29 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 29 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

प्रेटीलाचलर (आईएसओ), एनिलोफोस, बेनालैक्साइल, बेनालैक्साइल एम, ब्रोफ्लानिलाइड, बुटाक्लर, कारप्रोपामाइड, साइक्लानीलिप्रोल, डाइफ्लूबेनजूरोन, डाइमेथेनामाइड-पी, डाइयूरन, फ्लूएक्सामेटामाइड, आइप्रोवालीकार्ब, मैन्डीप्रोपामाइड, मेटालैक्सायल-एम, प्रोपानिल, प्रोपोक्सर, पायडाईफ्लूमेटोफैन ।

7. टैरिफ मद 2926 90 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2926 90 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

अल्फासाइपरमेथ्रीन, बेटा साइफ्लूथ्रीन, क्लोरोथालोनिल, साइफ्ल्यूमेटोफैन, साइफ्लूथ्रीन, साइहलोफोप-बुटाइल, साइमोक्सानिल, साइफैनोथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन (डेकामेथ्रीन), डाइथायनॉन, फेनप्रोपाथ्रीन, फेनवैसलेरेट, फ्लूवेलाइनेट, हाइड्रोजन सायनामाइड, लैमब्डासाइहैलोथ्रीन, माइक्लोबुटानिल ।

8. टैरिफ मद 2930 20 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2930 20 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड (आईएसओ), मैन्कोजैब, मेटिरैम, प्रोपाइनैब, थायोबेनकार्ब (बैनथायोकार्ब), ट्रायलैट, जीराम ।

9. टैरिफ मद 2930 90 92 के अंतर्गत उपशीर्ष 2930 90 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐसेफेट (आईएसओ), फोरैट (आईएसओ), कैप्टन, क्लेथोडिम, डाइफैन्थाइरोन, इथायोन, मालाथायोन, ऑक्सीडेमेथाइन-मिथायल, फेन्थोयोएट, प्रोफेनोफोस, टेमफोस, थायोफेनेट-मिथायल ।

10. टैरिफ मद 2932 20 30 के अंतर्गत उपशीर्ष 2932 20 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ब्रोडिफाकोयम, ब्रोमाडायोलोन, कोयमाचलोर, कोयमाटेट्राल्यल, फ्लोकोयमाफेन, मिल्बेमेस्टिन, स्पिरोमेसिफेन ।

11. टैरिफ मद 2933 19 92 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 19 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

सीएनोपाइराफेन, फेनपाइरोक्सीमेट, फिप्रोनिल, फ्लुक्सापयरोक्सद, पैनफ्लूफेन, पाइराक्लोस्ट्रोबिन, पाइरोक्सासलफोन, टेट्रोनिलिप्रोल, टोलफेनपाइराद, टोप्रामेजोन ।

12. टैरिफ मद 2933 29 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 29 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

आइमिदाक्लोप्रिड (आईएसओ), फेनामाइडान, आइमेजामोक्स, आइमिप्रोथ्रीन, आइप्रोडाइने, प्रोक्लोराज ।

13. टैरिफ मद 2933 31 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 31 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

फ्लोरपाइरोक्सिफेन बेनजाइल, फ्लुरोक्सीपायर मेपटायल, हैलोक्सीफेन-मिथायल, हैलोक्सीफोप-आर-मिथायल, पैराक्वैट डायक्लोराइड, पायरीफ्लूक्यैनेजोन, ट्राइक्लोपायर अम्ल, ट्राइक्लोपायर बटोटायल ऐस्टर ।

14. टैरिफ मद 2933 39 23 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 39 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

एफाइडोपायरोपेन, बोसकालिड, क्लोपायरिफोस, क्लोपायरिफोस मिथायल, क्लोडिनाफाप-प्रोपाजाइल, सियानट्रानिलिप्रोल, फ्लोनिकमिड, फ्लोरपाइरोक्सिफेन-बेनजाइल, फ्लोरीफाप-पी-बुटायल, फ्लोपीकोलाइड, फ्लोपाइराम और उसके उपापचयी, फोरक्लोरफेनुरान, हैलोक्सीफोप-पी-मिथायल, पाइकोसीस्ट्रोबिन, पाइरिडलइयल, पायरोफेनोन, पायराइप्रोक्सीफेन, सलफोक्साफ्लोर ।

15. टैरिफ मद 2933 59 50 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 59 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बाइस्पायरिबैक-सोडियम (आईएसओ), एमेट्रोक्ट्राडिन, एजोक्सीस्ट्राबिन, बेन्जपाइरिमोक्सम, बुप्राइमेट, फ्लोरासलम, पोल्योक्सीन डी जिंक लवण, प्राइमीफास-मिथायल, पायरीबेनजोक्सीम, पायरीफटेलिड, पायरीथायोबैक सोडियम, ट्राइफ्लूमेजोपायरिम ।

16. टैरिफ मद 2933 69 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 69 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐमेट्राइन, ऐट्राजीन, कारफेनट्राजोन एथायल, साइप्रोकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, फ्लुसिलाजोल, हेक्साकोनाजोल, हेक्साजिनोन, इंडाजिफ्लेम, आयोडोस्लफ्यूरान मिथायल सोडियम, मेफेनट्राइफ्लूआकोनाजोल, मेटामिट्रोन, मेट्राईबुजिन, पैक्लोबुट्राजोल, प्रोपिकोनाजोल, पाइमेट्रोजिन (एफआई), टीआईएम, टेबुकोनाजोल, टेट्राकोनाजोल, ट्रायाडिमेफेन, ट्रायाक्लाजोल, ट्राईटीकोनाजोल ।

17. टैरिफ मद 2933 99 20 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

कारबेनडाजिम (आईएसओ), बाइटरटनॉल, क्लोरफेनापायर, क्लोरफ्लुआजुरॉन, फेनाक्साप्रोप-पी-एथायल, फ्लुफेनजाइन, फ्लुपाइराडिफुरॉन, पैनकोनाजोल, प्रोपाक्याजोफोप, क्यिजालोफोप-पी-टेफुराइल, ट्रायाजोफॉस ।

18. टैरिफ मद 2934 99 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2934 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बेन्टाजोन, बाइक्स्लोजोन, क्लोमाजोन, डैजोमेट, डाइमेथोमोर्फ, एटोक्साजोल, फ्लुऐनसलफोन, फ्लुफेनासेट, फ्लुमियोक्साजिन, हैक्साथायाजोक्स, इनडोक्साकार्ब, आईसोसाइक्लोसीरम, ऑक्साडायरजिल, ऑक्साडायजॉन, फोसालॉन, पाइनाक्साडेन, थायक्लोप्रिड, थायोसाइक्लैम हाइड्रोजन ऑक्सालेट, वैलिफेनालेट ।

19. टैरिफ मद 2935 90 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2935 90 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐमिसलब्रोम, एजिम्सलफुरोन, बेनसलफुरोन मिथायल, क्लोरिमुरॉन एथायल, सायजोफैमाइड, साइजोफैमाइड, डाक्लोसुलैम, फ्लुसेटोसलफुरॉन, हैलोसलफुरॉन मिथायल, मिजोसलफुरॉन मिथायल, पैनोक्ससुलैम, पायराजोसलफुरॉन ईथायल, पायरोक्ससुलैम, सलफेनट्राजोन, सल्फोसल्फयूरोन, ट्रायफामोन, ट्रायसल्फ्यूरोन ।';

(ii) शीर्ष 2902 में, टैरिफ मद 2902 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2902 19 20	---	1-मिथायल साइक्लोप्रोपेन	कि.ग्रा.	2.5%	-";

(iii) शीर्ष 2903 में,–

(क) टैरिफ मद 2903 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	ट्राइक्लोरोएथेन *:*			
2903 19 21	----	1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म)	कि.ग्रा.	5%	-
2903 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-
2903 19 40	---	एथिलीन डायक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण	कि.ग्रा.	5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2903 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2903 29	--	अन्य *:*			
2903 29 10	---	डाइक्लोरोप्रोपीन और डाइक्लोरोप्रोपेन मिश्रण (डीडी मिश्रण)	कि.ग्रा.	5%	-
2903 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2903 79 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2903 79	--	*अन्य :*			
2903 79 10	---	*क्लोरोटेट्राफ्लूओरोइथेन्स*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 79 20	---	*केवल फ्लोरीन और क्लोरीन वाली हैलोजेनेटेड मिथेन, इथैन या प्रोपेन के अन्य व्युत्पन्न*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 79 30	---	*केवल फ्लोरीन और ब्रोमीन वाली हैलोजेनेटेड मिथेन, इथैन या प्रोपेन के व्युत्पन्न*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 79 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2903 89 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2903 89	--	*अन्य :*			
2903 89 10	---	हैक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन्स (एचबीसीडी)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 89 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(iv) शीर्ष 2905 में,–

(क) टैरिफ मद 2905 19 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- 3,3-*डाइमेथिलब्यूटैन*-2-*ओएल* (*पिनाकोलायल एल्कोहल*)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2905 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2905 19 20	---	ट्राइकोनटानॉल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(v) शीर्ष 2906 में, टैरिफ मद 2906 29 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2906 29 30	---	डाइकोफोल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vi) शीर्ष 2907 में, टैरिफ मद 2907 29 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2907 29 40	---	एक्विनोसिल, मेटामिफोप	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vii) शीर्ष 2908 में, टैरिफ मद 2908 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2908 99 30	---	डाइनोकैप, मेपटायलडाइनोकोप, सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(viii) शीर्ष 2909 में,--

(क) टैरिफ मद 2909 30 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2909 30 13	----	इथोक्सीसलफुरॉन, फैमोक्साडोन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2909 30 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2909 30 40	---	डेकाब्रोमोडाइफिनाइल इथर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2909 30 50	---	इथोफेनप्रोक्स (इटोफेनप्रोक्स), फोमेसफेन, ऑक्सीफ्लोरफेन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2909 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2909 60	-	*एल्कोहल परऑक्साइड, इथर परऑक्साइड, एसिटल और हैमीएसिटल परऑक्साइड, कीटोन परऑक्साइड और उनके हैलोजेनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न :*			
2909 60 10	---	एमसीपीए, अमाइन लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2909 60 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ix) शीर्ष 2910 में, टैरिफ मद 2910 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2910 90	-	*अन्य :*			
2910 90 10	---	इपाक्साकोनाजोल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2910 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(x) शीर्ष 2912 में, टैरिफ मद 2912 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2912 50	-	*एल्डिहाइडों के चक्रीय पालीमर :*			
2912 50 10	---	मेटाल्डिहाइड	कि.ग्रा.	7.5%	-

2912 50 90 --- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -";

(xi) शीर्ष 2914 में,–

(क) टैरिफ मद 2914 29 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2914 29 60 --- पायरिडाबेन कि.ग्रा. 7.5% -";

(ख) टैरिफ मद 2914 39 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2914 39 50 --- मेसोट्रिओन, मेट्राफेनोन कि.ग्रा. 7.5% -";

(ग) टैरिफ मद 2914 69 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2914 69 30 --- स्पिनेटोरम, स्पिनोसड कि.ग्रा. 7.5% -";

(घ) टैरिफ मद 2914 79 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2914 79 60 --- टेमबरेट्राइन कि.ग्रा. 7.5% -";

(xii) शीर्ष 2915 में, टैरिफ मद 2915 90 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2915 90 80 --- *परफ्लोरोआक्टेनाइक अम्ल और उनके लवण* कि.ग्रा. 7.5% -";

(xiii) शीर्ष 2916 में,–

(क) टैरिफ मद 2916 19 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- *अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किए गए असंतृप्त अचक्रीय मोनोअम्ल के ऐस्टर :*

2916 19 51 ---- गोसीप्लूर कि.ग्रा. 7.5% -

2916 19 59 ---- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -";

(ख) टैरिफ मद 2916 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- बाइफेनथ्रीन (आईएसओ), प्रैलइथ्रीन" प्रविष्टि रखी जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 2916 31 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2916 31 70 --- डाइकाम्बा कि.ग्रा. 7.5% -";

(घ) टैरिफ मद 2916 39 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2916 39 70 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5% -";

(xiv) शीर्ष 2917 में, टैरिफ मद 2917 19 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2917 19 80	---	आइसोप्रोथियोलेन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xv) शीर्ष 2918 में,–

(क) टैरिफ मद 2918 30 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2918 30 60	---	डाइक्लोफोप-मिथायल, डी-ट्रांस एलेथ्रीन, पायरेथ्रीन (पायरेथ्रम)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2918 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2918 99 30	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xvi) उपशीर्ष 2920 में,–

(क) टैरिफ मद 2920 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2920 19 30	---	ऐडिफेनफोस, फेनिट्रोथीयॉन, इप्रोबेनफॉस (किटाजिन)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2920 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2920 90	-	*अन्य* :			
2920 90 10	---	प्रोपरजाइट	कि.ग्रा.	7.5%	-
2920 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xvii) शीर्ष 2921 में,–

(क) उपशीर्ष 2921 19 में, टैरिफ मद 2921 19 10 और 2921 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*एन, एन-डाइएलकिल (मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) -2-क्लोरोएटायलमाइन्स और उनके प्रोटोनेटेड लवण :*			
2921 19 11	----	2-क्लोरो एन, एन-डाइआईसोप्रोपायल इथिलअमीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 19 12	----	2-क्लोरो एन, एन-डाइमिथायल इथेनामाइन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 19 30	---	क्लोर्मेक्वेट क्लोराइड (सीसीसी)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2921 41 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2921 41 30	---	6-बेनजिलऐडीनील, बेफ्लुबुटामिड	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2921 42 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2921 42 50	---	फलुफ्लोरालीन, पैनडीमेथालीन, ट्राइफ्लुरालीन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2921 43 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*अन्य :*			
2921 43 91	----	इथाफ्लुरालीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 43 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xviii) शीर्ष 2922 में, टैरिफ मद 2922 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*एन, एन-डाइएलकिल (मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) -2-एमिनो इथानोल और उनके प्रोटोनेटेड लवण :*			
2922 19 11	----	*एन, एन-डाइमिथायल-2-एमिनो इथानोल और इसके प्रोटोनेटेड लवण*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2922 19 12	----	*एन, एन-डाइएथील-2-एमिनो इथानोल और इसके प्रोटोनेटेड लवण*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2922 19 13	----	2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाइआईसोप्रोपायल इथिलअमीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2922 19 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xix) शीर्ष 2924 में,–

(क) टैरिफ मद 2924 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2924 19	--	अन्य *:*			
2924 19 10	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 4 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2924 19 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2924 21 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2924 21 40	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 5 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2924 29 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण में 6 विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) शीर्ष 2925 में, टैरिफ मद 2925 29 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2925 29 20	---	डोडाइन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxi) शीर्ष 2926 में, टैरिफ मद 2926 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2926 90	-	*अन्य* :			
2926 90 10	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 7 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2926 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxii) शीर्ष 2928 में, टैरिफ मद 2928 00 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2928 00 20	---	क्रोमेफेनोजाइड, मेथोक्साइफेनजाइड, ट्राइफ्लोक्साइट्रोबीन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxiii) शीर्ष 2929 में, टैरिफ मद 2929 90 10 से 2929 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	एन, एन-डाइएलकिल *(*मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल*)* फोसफोरेमिडिक डाइहैलिडस *:*			
2929 90 11	----	एन, एन-डाइएथीलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 12	----	एन, एन-डाइआईसोप्रोपायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 13	----	एन, एन-डाइप्रोपायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 14	----	एन, एन-डाइमिथायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	डाइएलकिल *(*मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल*)* एन, एन-डाइएलकिल *(*मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल*)* फोस्फोरैमिडेटस *:*			
2929 90 21	----	डाइएथील एन, एन-डाइमिथायलफोस्फोरैमिडेट	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 60	---	फोसफोरेमिडिक अम्ल, डाइएथील, डाइमिथायलऐस्टर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 70	---	एन-(1-(डाइएलकिल ($\leq$सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) एमिनो)) एल्किलआइडिन (एच या $\leq$सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) फोस्फोनामिडिक फ्लोराइडस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 80	---	ओ-ऐल्काइल (एच या $\leq$ सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) एन-(1-(डाइएलकिल ($\leq$सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) एमिनो))एल्किलआइडिन (एच या $\leq$ सी$_{10}$, सम्मिलित साइक्लोएलकिल) फोस्फोरेमाइडोफ्लोओराइडेटस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	*अन्य* :			
2929 90 91	----	*प्रोपेटैमफोस*	कि.ग्रा.	7.5%	-

2929 90 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxiv) शीर्ष 2930 में,–

(क) टैरिफ मद 2930 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 8 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2930 90 10 से 2930 90 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	थायोयूरिया *(*सल्फोयूरिया*)*, मैथयोनाइन के कैल्शियम लवण, थायो सल्फोनिक अम्ल, एल-सिस्टिन *(*अल्फा-एमिनो बीटा-थाइओप्रोपाओनिक अम्ल*)*- एमिनो अम्ल अंतर्विष्ट करने वाला सल्फर, सल्फिनिक अम्ल, सल्फोक्साइड, मरकैप्टन, एल्लिल आईसोथायोसाइनेट *:*			
2930 90 11	----	थायोयूरिया (सल्फोयूरिया)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 12	----	मैथयोनाइन के कैल्शियम लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 13	----	थायो सल्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 14	----	एल-सिस्टिन (अल्फा-एमिनो बीटा-थाइओप्रोपाओनिक अम्ल)-एमिनो अम्ल अंतर्विष्ट करने वाले सल्फर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 15	----	सल्फिनिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 16	----	सल्फोक्साइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 17	----	मरकैप्टन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 18	----	एल्लिल आईसोथायोसाइनेट	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	ओ, ओ-डाइएथील एस-*[2-(*डाइएथीलएमिनो*)*एटायल*]*फोस्फोरोथाओएट और इसके ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण *:*			
2930 90 21	----	फोस्फोरोथाओइक अम्ल, एस[2-(डाइएथील एमिनो) एथायल] ओ, ओ-डाइइथाएल एस्टर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	एन, एन-डाइएलकिल *(*मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल*)* एमिनोइथैन-*2*-थायोल्स और उनके प्रोटोनेटेड लवण, सिवाय *2-(*एन, एन-डाइमिथायलएमिनो*)* इथैनथायोल और *2-(*एन, एन-डाइएथीलएमिनो*)* इथैनथायोल *:*			
2930 90 31	----	डाई-मिथायल एमिनो इथैनथायोल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 32	----	डाई-एथायल एमिनो इथैनथायोल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-

	---	*अन्य :*			
2930 90 91	----	इथानोल, 2,2'-थायोबिस-	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 92	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 9 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 94	----	जिसमें कोई फास्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 96	----	ओ-एथायल एस-फिनायल इथायलफोस्फोनाथायोलोथायोनेट (फोनोफोस)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxv) शीर्ष 2931 में,–

(क) टैरिफ मद 2931 49 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- ग्लायफोसेट (आईएसओ), फोसैटायल-एल, ग्लुफोसिनेट अमोनियम, ग्लायफोसेट पोटाशियम लवण" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2931 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2931 49 40	---	*बुटायल मिथायलफोस्फिनेट*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 49 50	---	*बिस*(1-*मिथायलपैनटायल*) *मिथायलफोस्फोनेट*	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	*अन्य :*			
2931 49 91	----	जिसमें कोई फास्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 49 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2931 59 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2931 59	--	*अन्य :*			
2931 59 10	---	पी-ऐल्काइल ($\leq C_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) एन-(1-(डाइएलकिल ($\leq C_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) एमिनो))एल्किलआइडिन (एच या $\leq C_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) फोस्फोनामिडिक फ्लोराइडस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 59 20	---	*मिथायल-*(*बिस*(*डाइएथीलएमिनो*)*मिथायलीन*) *फोस्फोनेमाइडोफ्लोराइडेट*	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	कोई फोस्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है *:*			
2931 59 31	----	*इथेफोन*	कि.ग्रा.	7.5%	-

2931 59 39	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 59 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxvi) शीर्ष 2932 में,–

(क) टैरिफ मद 2932 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2932 19 20	---	अजाडिरक्टा (नीम उत्पाद), बेनफुरकार्ब, साइन मिथायलीन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2932 20 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2932 20 30	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 10 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2932 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इमामेक्टीन बेन्जोऐट (आईएसओ), एबेमक्टीन, डाइनोटेफ्युरोन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) शीर्ष 2933 में,–

(क) टैरिफ मद 2933 19 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 19 92	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 11 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2933 29 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "---इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 12 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2933 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 31	--	*पिरीडीन और उसके लवण :*			
2933 31 10	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 13 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 31 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2933 32 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 32	--	*पिपैरीडीन और इसके लवण :*			
2933 32 10	---	मैपीक्वैट क्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 32 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ङ) टैरिफ मद 2933 39 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 39 23	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 14 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(च) टैरिफ मद 2933 39 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 39 50	---	1-[एन, एन-डाइएलकिल ($\leq C_{10}$) -एन-(एन-(हाइड्रोक्सिल, सायनो, ऐसीटोक्सी) ऐल्काइल ($\leq C_{10}$)) अमोनिओ]-एन-[एन-(3-डाइमिथायलकारबामोक्सी-α-पिकोलीनाइल)-एन, एन-डाइएलकिल ($\leq C_{10}$) अमोनिओ] डीकेन डाइब्रोमाइड (एन=1-8)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 39 60	---	1,एन-बिस [एन-(3-डाइमिथायलकारबामोक्सी-ए-पिकोलाइल)-एन, एन-डाइएलकिल ($\leq C_{10}$) अमोनिओ]-एलकैन-(2,(एन-1)-डायोन) डाइब्रोमाइड (एन=2-12)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(छ) टैरिफ मद 2933 41 00 और 2933 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 41	--	*लेवोरफैनोल (आईएनएन) और इसके लवण :*			
2933 41 10	---	फैनेजाक्वैन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 41 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 49	--	अन्य *:*			
2933 49 10	---	क्वियजालोफोप एथायल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 49 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ज) टैरिफ मद 2933 59 10, 2933 59 20, 2933 59 30 और 2933 59 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) टैरिफ मद 2933 59 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 59 50	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ञ) टैरिफ मद 2933 59 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) टैरिफ मद 2933 69 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 69 60	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ठ) टैरिफ मद 2933 79 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 79 30	---	स्पायरोटेट्रामैट	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ड) टैरिफ मद 2933 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 17 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) शीर्ष 2934 में,–

(क) टैरिफ मद 2934 10 00 और 2934 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2934 10	-	*यौगिक, जिनकी संरचना में असंगलित थियजोल वलय (चाहे वह हाइड्रोजेनेटित अंतर्विष्ट हो या नहीं) है :*			
2934 10 10	---	क्लोथिएनिडीन, औक्जाथायापीपरोलीन, थीफ्लुजामाइड, थायोमेथोक्सम	कि.ग्रा.	7.5%	-
2934 10 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2934 20	-	*यौगिक, जिनकी संरचना में बेनजोथियेजोल वलय प्रणालीय (चाहे वह हाइड्रोजेनेटित अंतर्विष्ट हो या नहीं), जो और संगलित नहीं है :*			
2934 20 10	---	मेथाबेनजथायाजुरॉन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2934 20 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2934 99 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2934 99 40	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 18 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxix) शीर्ष 2935 में,–

(क) टैरिफ मद 2935 50 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2935 50 20	---	सफ्लुफेनासिल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2935 90 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2935 90 40	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 19 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxx) शीर्ष 2941 में, टैरिफ मद 2941 90 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2941 90 70	---	ओरियोफंनजिन, कैसुगामाइसीन, वैलीडामाइसीन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(9) अध्याय 33 में, उपशीर्ष 3302 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 34 में, उपशीर्ष 3406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 38 में,–

(i) अनुपूरक टिप्पण 1 में, "आईएस-15981 के अनुरूप ऐसिटामिप्रिड (आईएसओ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

'आईएस-15981 के अनुरूप ऐसिटामिप्रिड (आईएसओ) ; आईएस 18873 के अनुरूप एफाइडोपायरोपेन ; आईएस 15616 के अनुरूप अल्फासाइपरमेथ्रीन ; आईएस 14299 के अनुरूप अजाडिरक्टा (नीम उत्पाद) ; आईएस 14156 के अनुरूप बेटा साइफ्लूथ्रीन ; आईएस 14940 के अनुरूप कार्बोसलफान ; आईएस 8963 के अनुरूप क्लोपायरिफोस ; आईएस 15693 के अनुरूप क्लोपायरिफोस मिथायल ; आईएस 14156 के अनुरूप साइफ्लूथ्रीन ;

आईएस 15978 के अनुरूप साइफैनोथ्रीन ; आईएस 12005 के अनुरूप डेल्टामेथ्रीन (डेकामेथ्रीन) ; आईएस 5278 के अनुरूप डाइकोफोल; आईएस 14185 के अनुरूप डाइफ्लूबेनजूरोन ; आईएस 13146 के अनुरूप डी-ट्रान्स एलेथ्रीन ; आईएस 10369 के अनुरूप इथायोन ; आईएस 14249 के अनुरूप इथोफेनप्रोक्स (इटोफेनप्रोक्स) ; आईएस 634 के अनुरूप एथिलीन डायक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण ; आईएस 5280 के अनुरूप फेनिट्रोथीयॉन ; आईएस 15161 के अनुरूप फेनप्रोपाथ्रीन ; आईएस 12003 के अनुरूप फेनवैलेरेट ; आईएस 18389 के अनुरूप फिप्रोनिल ; आईएस 13097 के अनुरूप फ्लूवेलाइनेट ; आईएस 16921 के अनुरूप आइमिप्रोथ्रीन ; आईएस 15984 के अनुरूप इनडोक्साकार्ब ; आईएस 14509 के अनुरूप लैमब्डासाइहैलोथ्रीन ; आईएस 1832 के अनुरूप मालाथायोन ; आईएस 15614 के अनुरूप मेथोमाइल ; आईएस 17125 के अनुरूप नोवाल्यूरोन ; आईएस 8258 के अनुरूप ऑक्सीडेमेथाइन-मिथायल ; आईएस 8293 के अनुरूप फेन्थायोरेट ; आईएस 8488 के अनुरूप फोसालॉन ; आईएस 13080 के अनुरूप प्राइमीफास-मिथायल ; आईएस 15238 के अनुरूप प्रोफेनोफोस ; आईएस 16141 के अनुरूप पायराइप्रोक्सीफेन ; आईएस 16674 के अनुरूप स्पिरोमेसिफेन ; आईएस 8701 के अनुरूप टेमफोस ; आईएस 16710 के अनुरूप थायक्लोप्रिड ; आईएस 16956 के अनुरूप थायोडाइकार्ब ; आईएस 15983 के अनुरूप थायोमेथोक्सम ; आईएस 14936 के अनुरूप ट्रायाजोफॉस ; आईएस 1251 के अनुरूप जिंक फोसफाइड ।';

(ii) अनुपूरक टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

'2. टैरिफ मद 3808 91 42 में, उपशीर्ष 3808 91 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : क्लोरेन्ट्रेनालपप्रोल (आईएसओ) ; ब्यूप्रोफेजिन (आईएसओ) ; फ्लुबेनडियामाइड (आईएसओ) ; इमामेक्टीन बेन्जोऐट (आईएसओ) ; एबेमक्टीन ; बेन्डियोकार्ब ; बेनफुरकार्ब ; बेन्जपाइरिमोक्सम ; ब्रोफ्लानिलाइड ; क्लोरफेनापायर ; क्लोरफ्लुआजुरॉन ; क्रोमेफेनोजाइड ; क्लोथिएनिडीन ; सियानट्रानिलिप्रोल ; साइक्लानीलिप्रोल ; सीएनोपाइराफेन ; साइफ्ल्यूमेटोफैन ; डाइफैन्थाइरोन ; डाइनोटेफ्युरोन ; एटोक्साजोल ; फैनेजाक्वैन ; फेनोबुकार्ब (बीपीएमसी) ; फेनपाइरोक्सीमेट ; फ्लोनिकमिड ; फ्लूफेनोक्सरैन ; फ्लुफेनजाइन ; फ्लुपाइराडिफुरॉन ; फ्लूएक्सामेटामाइड ; हैक्साथायाजोक्स ; आईसोसाइक्लोसीरम ; लूफेनूरोन ; मेटाफ्लूमाइजोन ; मेटाल्डिहाइड ; मेथोक्साइफेनजाइड ; मेटोफ्लूथाइन ; मिल्बेमेस्टिन ; परमेथ्रीन ; प्रैलइथ्रीन ; प्रोपरजाइट ; प्रोपेटैमफोस ; प्रोपोक्सर ; पाइमेट्रोजिन (एफआई), टीआईएम ; पायरेथ्रीन (पायरेथ्रम) ; पायरिडाबेन ; पाइरिडलइयल ; पायरीफ्लूक्यैनेजोन ; रेनोफ्लूथ्राइन ; एस-बायोऐलेथ्रीन ; स्पिनेटोरम ; स्पिनोसड ; स्पायरोटेट्रामैट ; सलफोक्साफ्लोर ; टैफलूबैनजूरोन ; टोलफेनपाइराद ; ट्रांसफ्लूथ्राइन ; ट्राइफ्लूमेजोपायरिम ;

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : टेट्रोनिलिप्रोल ; थायोसाइक्लैम ; हाइड्रोजन ऑक्सालेट ।';

(iii) अनुपूरक टिप्पण 5 में, "आईएस-8445 के अनुरूप कारबेनडाजिम (आईएसओ)", शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"आईएस-8445 के अनुरूप कारबेनडाजिम (आईएसओ) ; आईएस 13330 के अनुरूप बाइटरटनॉल ; आईएस 14251 के अनुरूप कैप्टन ; आईएस 13110 के अनुरूप कार्बोक्सीन ; आईएस 16706 के अनुरूप कारप्रोपामाइड ; आईएस 13132 के अनुरूप क्लोरोथालोनिल ; आईएस 1682 के अनुरूप कुपरस ऑक्साइड ; आईएस 15600 के अनुरूप साइमोक्सानिल ; आईएस 12944 के अनुरूप डाइथायनॉन ; आईएस 13784 के अनुरूप डोडिन ; आईएस 8954 के अनुरूप ऐडिफेनफोस ; आईएस 14549 के अनुरूप हेक्साकोनाजोल ; आईएस 13788 के अनुरूप इप्रोबेनफॉस (किटाजिन) ; आईएस 15163 के अनुरूप आइसोप्रोथियोलेन ; आईएस 8707 के अनुरूप मैन्कोजैब ; आईएस 13458 के अनुरूप मेटालैक्सायल-एम ; आईएस 15234 के अनुरूप पैनकोनाजोल ; आईएस 15241 के अनुरूप प्रोपिकोनाजोल ; आईएस 15165 के अनुरूप टेबुकोनाजोल ; आईएस 14551 के अनुरूप थायोफेनेट-मिथायल ; आईएस 13328 के अनुरूप ट्रायाडिमेफेन ; आईएस 15982 के अनुरूप ट्रायाक्लाजोल ; आईएस 17200 के अनुरूप वैलीडामाइसीन ; आईएस 3900 के अनुरूप जीराम ।";

(iv) अनुपूरक टिप्पण 7 में, "आईएस-12502 के अनुरूप ग्लायफोसेट (आईएसओ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'आईएस-12502 के अनुरूप ग्लायफोसेट (आईएसओ) ; आईएस 1827 के अनुरूप 2,4-डी अमाइन लवण ; आईएस 7233 के अनुरूप 2,4-डी- इथाएल एस्टर ; आईएस 1488 के अनुरूप 2,4-डी सोडियम लवण ; आईएस 13402 के अनुरूप एनिलोफोस ; आईएस 12932 के अनुरूप ऐट्राजीन ; आईएस 17847 के अनुरूप बेनसलफुरोन मिथायल ; आईएस 9356 के अनुरूप बुटाक्लर ; आईएस 15619 के अनुरूप क्लोरिमुरॉन एथायल ; आईएस 15409 के अनुरूप क्लोमाजोन ; आईएस 14938 के अनुरूप डाइक्लोफोप-मिथायल ; आईएस 8702 के अनुरूप डाइयूरन ; आईएस 15232 के अनुरूप फेनाक्साप्रोप-पी-एथायल ; आईएस 8958 के अनुरूप फलुफ्लोरालीन ; आईएस 15166 के अनुरूप ग्लुफोसिनेट अमोनियम ; आईएस 8494 के अनुरूप एमसीपीए, अमाइन लवण ; आईएस 11007 के अनुरूप मेथाबेनजथायाजुरॉन ; आईएस 15229 के अनुरूप मेटोलेचलर ; आईएस 13332 के अनुरूप मेट्राईबुजिन ; आईएस 15615 के अनुरूप मेटसल्फ्यूरोन मिथायल ; आईएस 16708 के अनुरूप ऑक्साडायरजिल ; आईएस 14934 के अनुरूप ऑक्सीफ्लोरफेन ; आईएस 12685 के अनुरूप पैनडीमेथालीन ; आईएस 8071 के अनुरूप प्रोपानिल ; आईएस 16212 के अनुरूप सल्फोसल्फयूरोन ; आईएस 12768 के अनुरूप थायोबेनकार्ब (बैनथायोकार्ब) ; आईएस 9357 के अनुरूप ट्रायलैट ।';

(v) अनुपूरक टिप्पण 8 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8. टैरिफ मद 3808 93 62 में, उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : बिसपायरीबैक सोडियम (आईएसओ) ; इमेजथपायर (आईएसओ) ; 2,4-डाईक्लोरोफेनोक्सी ऐसिटिक अम्ल ; ऐमेट्राइन ; एजिम्सलफुरोन ; बेफ्लुबुटामिड ; बेन्टाजोन ; बाइक्स्लोजोन ; कारफेनट्राजोन एथायल ; क्लोरप्रोफेम ; सीनमिथायलेन ; क्लेथोडिम ; क्लोडिनाफाप-प्रोपाजाइल ; साइहलोफोप-बुटाइल ; डैजोमेट ; डाइकाम्बा ; डाक्लोसुलैम ; डाइमेथेनामाइड-पी ; इथाफ्लुरालीन ; इथोक्सीसलफुरॉन ; फ्लोरासलम ; फ्लोरपाइरोक्सिफेन बेनजाइल ; फ्लोरपाइरोक्सिफेन-बेनजाइल ; फ्लोरीफाप-पी-बुटायल ; फ्लुसेटो सलफुरॉन ; फ्लुफेनासेट ; फ्लुमियोक्साजिन ; फ्लुरोक्सीपायर मेपटायल ; फोमेसफेन ; ग्लायफोसेट पोटाशियम लवण ; हैलोक्सीफेन-मिथायल ; हैलोक्सीफोप-पी-मिथायल ; हैलोक्सीफोप-आर-मिथायल ; हैलोसलफुरॉन मिथायल ; हेक्साजिनोन ; आइमेजामोक्स ; इंडाजिफ्लेम ; आयोडोस्लफ्यूरान मिथायल सोडियम ; इपफेनकार्बाजोन ; मिजोसलफुरॉन मिथायल ; मेसोट्रिओन ; मेटामिफोप ; मेटामिट्रोन ; आर्थोसल्फाम्यूरोन ; ऑक्साडायजॉन ; पैराक्वैट डायक्लोराइड ; पैनोक्ससुलैम ; पाइनाक्साडेन ; प्रोपाक्याजोफोप ; पायराजोसलफुरॉन एथायल ; पायरीबेनजोक्सीम ; पायरीफटेलिड ; पायरीथायोबैक सोडियम ; पाइरोक्सासलफोन ; पायरोक्ससुलैम ; क्यिजालोफोप एथायल ; क्यिजालोफोप-पी-टेफुराइल ; सफ्लुफेनासिल ; सोडियम ऐसिफ्लोरेफेन ; सलफेनट्राजोन ; टेमबरेट्राइन ; टोप्रामेजोन ; ट्रायफामोन ; ट्रायसल्फ्यूरोन ; ट्राइक्लोपायर अम्ल ; ट्राइक्लोपायर बटोटायल ऐस्टर ; ट्राइफलोक्सीसल्फयूरोन सोडियम ; ट्राइफ्लुरालीन ;

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : इन्डाजिफ्लैम ; मिसोट्राइन ;

(ग) द्रव्यमान के अनुसार 40% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : पैराक्वाट डाइक्लोराइड ।";

(vi) अनुपूरक टिप्पण 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'11. टैरिफ मद 3808 92 80 में उपशीर्ष 3808 92 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : एमेट्रोक्ट्राडिन ; ऐमिसलब्रोम ; ओरियोफंनजिन ; एजोक्सीस्ट्राबिन ; बेनालैक्साइल ; बेनालैक्साइल एम ; बोसकालिड ; बुप्राइमेट ; कापर सल्फेट पैन्टाहाइड्रेट ; सायजोफैमेड ; साइफ्लूफेनामाइड ; साइप्रोकोनाजोल ; साइजोफैमेड ; डाइफेनोकोनाजोल ;

डाइमेथोमोर्फ ; डाइनोकैप ; इपाक्साकोनाजोल ; फैमोक्साडोन ; फेनामाइडान ; फेनोक्सानाइल ; फ्लोपीकोलाइड ; फ्लोपाइराम और उसके उपापचयी ; फ्लुसिलाजोल ; फ्लुक्सापयरोक्सद ; फोसैटायल-एल ; आइप्रोडाइने ; आइप्रोवालीकार्ब ; कैसुगामाइसीन ; क्रेसोक्सिम मिथायल ; लाइम सल्फर ; मैन्डीप्रोपामाइड ; मेफेनट्राइफ्लूआकोनाजोल ; मेपटायलडाइनोकोप ; मेटिरैम ; मेट्राफेनोन ; माइक्लोबुटानिल ; औक्जाथायापीपरोलीन ; पैनसीक्यूरोन ; पैनफ्लूफेन ; पाइकोसीस्ट्रोबिन ; पोल्योक्सीन डी जिंक लवण ; प्रोक्लोराज; पायडाईफ्लूमेटोफैन ; पाइराक्लोस्ट्रोबिन ; पायरोफेनोन ; टेट्राकोनाजोल ; थीफ्लुजामाइड ; ट्राइबेसिक कापर सल्फेट ; ट्राइफ्लोक्साइट्रोबीन ; ट्राईटीकोनाजोल ; वैलिफेनालेट ।

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : कापर हाइड्राक्साइड ; प्रोपैमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड ; प्रोपाइनैब ।';

12. टैरिफ मद 3808 93 41 में उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

आईएस 13070 के अनुरूप अल्फानैफ्थाइल ऐसिटिक अम्ल ; आईएस 8961 के अनुरूप क्लोर्मेक्वेट क्लोराइड (सीसीसी) ; आईएस 14408 के अनुरूप इथेफोन ; आईएस 16340 के अनुरूप मैपीक्वैट क्लोराइड ।

13. टैरिफ मद 3808 93 42 में, द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ, उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

1-मिथायल साइक्लोप्रोपेन ; 6-बेनजिलऐडीनील ; साइक्लेनीलाइड ; फोरक्लोरफेनुरान ; पैक्लोबुट्राजोल ; प्रोहेक्साडाइन कैल्शियम ; सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट ; ट्राइकोनटानॉल ।

14. टैरिफ मद 3808 94 20 में, उपशीर्ष 3808 94 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : डाइक्लोरोप्रोपीन और डाइक्लोरोप्रोपेन मिश्रण (डीडी मिश्रण) ; हाइड्रोजन सायनामाइड ;

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 40% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : मैगनिशियम फोसफाइड प्लेट ।

15. टैरिफ मद 3808 99 11 में उपशीर्ष 3808 99 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

आईएस 12914 के अनुरूप ब्रोमाडायोलोन ।

16. टैरिफ मद 3808 99 12 में, द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ, उपशीर्ष 3808 99 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

एक्विनोसिल ; बाइफेनेजेट ; ब्रोडिफाकोयम ; कोयमाचलोर ; कोयमाटेट्राल्यल ; फ्लोकोयमाफेन ; फ्लुजियानडोलीजायन ; फ्लुऐनसलफोन ; गोसीप्लूर ।';

(vii) शीर्ष 3808 में,–

(क) टैरिफ मद 3808 91 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"3808 91 93	----	*ब्रोमोमिथेन* (*मिथायल ब्रोमाइड*) *या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 3808 92 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"3808 92 80	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 11 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-

	---	*अन्य :*			
3808 92 91	----	*ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-
3808 92 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 3808 93 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	पादप वृद्धि नियामक*:*			
3808 93 41	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 12 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 42	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 13 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 49	----	अन्य :	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 3808 93 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*अन्य :*			
3808 93 91	----	*ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ङ) टैरिफ मद 3808 94 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"3808 94	--	*विसंक्रामक :*			
3808 94 10	---	ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3808 94 20	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 14 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 94 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(च) टैरिफ मद 3808 99 10 और 3808 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 और 16 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 99 11	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 99 12	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
	---	*अन्य :*			
3808 99 91	----	*ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-

3808 99 92	----	*कीटनाशक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है*	कि.ग्रा.	10%	-
3808 99 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(viii) टैरिफ मद 3813 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"3813		अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड			
3813 00	-	अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण *;* भरित अग्निशामक ग्रेनेड *:*			
3813 00 10	---	ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लूरोमिथेन, ब्रोमोट्राईफ्लूरोमिथेन या डाईब्रोमोटेट्राफ्लूरोइथैन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 20	---	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोब्रोमोफ्लूरोकार्बन (एचबीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 30	---	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 40	---	ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ix) शीर्ष 3814 में, टैरिफ मद 3814 00 10 और 3814 00 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक*,* जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है *:*			
3814 00 11	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 12	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 13	----	कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरोमिथेन या 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
	---	निर्मित पेंट या वार्निश अपसारक *:*			
3814 00 21	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-

3814 00 22	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 23	----	कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरोमिथेन या 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म) करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(x) उपशीर्ष 3822 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 3824 60 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 3824 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 39 में, शीर्ष 3920 और शीर्ष 3921 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 64 में, शीर्ष 6401, शीर्ष 6402, शीर्ष 6403, शीर्ष 6404 और शीर्ष 6405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 68 में, टैरिफ मद 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 91 00, 6802 92 00 और 6802 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 71 में,--

(i) शीर्ष 7106 में,–

(क) टैरिफ मद 7106 91 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"7106 91 20	---	रजत के भार से 99.9 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 7106 92 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*छड़ :*			
7106 92 21	----	रजत के भार से 99.9 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7106 92 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ii) शीर्ष 7108 में, टैरिफ मद 7108 12 00 और 7108 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"7108 12	--	*अन्य अनगढ़ रूप में :*			
7108 12 10	---	स्वर्ण के भार से 99.5 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-

7108 12 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
7108 13	--	*अन्य अर्ध-विर्निमित रूप में :*			
7108 13 10	---	स्वर्ण के भार से 99.5 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7108 13 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(iii) शीर्ष 7110 में, टैरिफ मद 7110 11 10 से 7110 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*अनगढ़ रूप में :*			
7110 11 11	----	प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7110 11 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
	---	*चूर्ण रूप में :*			
7110 11 21	----	प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7110 11 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
7110 19	--	अन्य *:*			
7110 19 10	---	प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7110 19 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 7113 और शीर्ष 7114 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 72 में, टैरिफ मद 7210 12 10, 7210 12 90, 7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90, 7219 90 90 और 7225 11 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 73 में, टैरिफ मद 7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90 और 7326 90 99 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 74 में, टैरिफ मद 7404 00 12, 7404 00 19, 7404 00 22 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 80 में,--

(i) शीर्ष 8001 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8002 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 81 में,--

(i) टैरिफ मद 8101 94 00, 8101 97 00, 8102 94 00, 8102 97 00, 8103 20 10, 8103 20 90, 8103 30 00, 8105 20 20, 8105 30 00, 8106 10 10, 8106 90 10, 8109 21 00, 8109 31 00, 8109 39 00, 8110 10 00, 8110 20 00, 8112 12 00, 8112 13 00, 8112 31 10, 8112 31 20, 8112 31 30, 8112 41

10, 8112 41 20, 8112 61 00, 8112 69 10 और 8112 69 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8112 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में, "(कोलम्बियम और)" प्रविष्टि के स्थान पर, "(कोलम्बियम), और" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 85 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, "50 x 103 जीवाई(सिलिकान)(5 x 106 आरएडी (सिलिकान)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "50 x 10^3 जीवाई(सिलिकान)(5 x 10^6 आरएडी (सिलिकान)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 8541 42 00, 8541 43 00 और 8541 49 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 87 में,--

(i) शीर्ष 8702 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8704 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 8711 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8712 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 89 में, शीर्ष 8903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9028 30 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 94 में, शीर्ष 9401, शीर्ष 9403, शीर्ष 9404 और शीर्ष 9405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 95 में, टैरिफ मद 9503 00 91 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 98 में,--

(i) टैरिफ मद 9802 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9803 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 9804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण, विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
30 जनवरी, 2025 **निर्मला सीतारामन**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 30 जनवरी, 2025 के पत्र सं0 फा0 2(6)-बी0(डी0)/2025 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन वित्त विधेयक, 2025 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करती हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करती हैं ।

2. यह विधेयक, लोक सभा में 1 फरवरी, 2025 को बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात् पुरःस्थापित किया जाएगा ।